

दिनांक 11 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी

\*324. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील:

श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु तौर तरीकों का पता लगाने के लिए गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में की गई सिफारिश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समूह ने श्रम कानूनों, कर प्रणाली में सुधार करने, प्रवेश नियमों को सुगम बनाने तथा संरक्षणकारी नीतियों को समाप्त किये जाने हेतु कदम उठाने का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो व्यापार की हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु इस समूह की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(ङ) कॉर्पोरेट कर सुधारों के उपरांत विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों के लिये सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

**असम में चाय उत्पादन**

3890. श्री दिलीप शङ्कीया:

श्री रमेश चन्द्र कौशिक:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय असम राज्य सहित चाय उत्पादन का राज्य-वार प्रतिशत योगदान कितना है;

(ख) क्या चाय बोर्ड भारत का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है और चाय उत्पादकों विशेषकर असम के चाय उत्पादकों को इस कारण से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय चाय बोर्ड के कार्यालय को गुवाहाटी में स्थानांतरित करने का है और क्या सरकार ने विभिन्न उत्पादकों से ऐसे कोई अनुरोध प्राप्त किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री**

**(श्री पीयूष गोयल)**

(क): वर्ष 2018-19 के दौरान असम राज्य सहित चाय उत्पादन में राज्य-वार योगदान का प्रतिशत निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :-

राज्य	2018-19	
	उत्पादन (एम.किलोग्राम)	उत्पादन का %
असम	701.35	51.95
पश्चिम बंगाल	394.22	29.20
अन्य एनई राज्य	28.46	2.11
तमिलनाडु	160.15	11.86
केरल	60.76	4.50
कर्नाटक	5.10	0.38
<b>अखिल भारतीय</b>	<b>1350.04</b>	<b>100.00</b>

स्रोत: चाय बोर्ड

(ख) और (ग): चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। असम के चाय उत्पादकों को कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सहयोग दिया जाता है।

(घ) और (ङ): जी नहीं ।

दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

कृषि निर्यात पर प्रतिबंध

3870. श्री कल्याण बनर्जी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कृषि निर्यात पर निर्यात संबंधी प्रतिबंध लगाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और  
(ख) क्या इन निर्यात-प्रतिबंध से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसानों को नुकसान हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क): जी हां । कृषि उत्पाद पर निर्यात प्रतिबंध लगाने का निर्णय कई कारकों पर आधारित होता है जैसे कि घरेलू आपूर्ति और कीमत की स्थिति, खाद्य सुरक्षा की चिंता, उपजकर्ताओं को लाभकारी कीमतों और आम आदमी को वहनीय कीमतों पर कृषि उत्पादों की उपलब्धता के बीच संतुलन बनाने की जरूरत, आयात करने वाले देशों की आवश्यकता, आदि । प्रमुख कृषि उत्पादों में से सरसों के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध मौजूद हैं, जिसे केवल 5 किलोग्राम तक के ब्रांडेड उपभोक्ता पैकों में, 900 अमरीकी डालर प्रति एमटी की न्यूनतम निर्यात कीमत के अध्यक्षीन निर्यात करने की अनुमति है । 29 सितंबर 2019 से प्याज का निर्यात प्रतिबंधित हैं । इसके अतिरिक्त, कई किस्म के बीजों का निर्यात प्रतिबंधित है।

(ख): सरकार कृषि उत्पादों के लिए एक स्थिर निर्यात नीति के पक्ष में है। कृषि निर्यात नीति में प्रावधान है कि निर्यात प्रतिबंध केवल उच्च-स्तरीय समिति के निर्णय के आधार पर भारी कीमत की स्थिति में खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वस्तुओं पर ही लगाया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं संबंधी सचिवों की समिति का अधिदेश केवल चरम कीमत की स्थिति में खाद्य सुरक्षा के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की संस्तुति करने के लिए बढ़ाया गया है।

दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

लघु निर्यातकों को एफटीए के लाभ

3851. श्री पंकज चौधरी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या लघु और मध्यम आकार के निर्यातकों को विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा लघु और मध्यम आकार के निर्यातकों को एफटीए के लाभ प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई पैकेज देने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): भारत द्वारा हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार करार (एफटीए) प्रशुल्क रियायतें प्रदान कराते हैं जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) से संबंधित उत्पादों सहित उत्पादों के निर्यात के अवसर उपलब्ध होते हैं। जापान, दक्षिण कोरिया और कुछ आसियान देशों जैसे व्यापारिक भागीदारियों द्वारा एसएमई उत्पादों जैसे रेडीमेड वस्त्र, चमड़ा उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य और ऑटो उपकरणों जैसे अभियांत्रिकी उत्पादों के लिए प्रशुल्क रियायतें उपलब्ध कराई गई हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए विशिष्ट निर्यात संवर्धन स्कीमों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेने के लिए स्कीम, निर्यात के लिए पैकेजिंग संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम, एमएसएमई निर्यातकों के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम और गुणवत्ताप्रद उत्पादों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं। सरकार ने भारत के व्यापार और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कई प्रमुख उपाय किए हैं।

(i) दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को एक नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 आरंभ की गयी। एफटीपी 2015-20 में देश में रोजगार सृजन करने एवं मूल्य वर्धन में वृद्धि करने के साथ-साथ “मेक इन इंडिया”, डिजिटल इंडिया “स्किल इंडिया”, “स्टार्ट अप इंडिया” एवं “इज ऑफ डुइंग बिजनेस” पहलों के अनुरूप वस्तु एवं सेवा निर्यात में वृद्धि करने के लिए कार्य योजना का प्रावधान है। इस नीति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, पण्यवस्तु और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए पिछली निर्यात संवर्धन स्कीमों को युक्तिसंगत बनाया।

(ii) लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास का समन्वय करने के लिए वाणिज्य विभाग में एक नया लॉजिस्टिक्स प्रभाग सृजित किया गया। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक में भारत की रैंकिंग वर्ष 2014 में 54 से मूव होकर 2018 में 44 हो गई।

(iii) व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए गए। विश्व बैंक में "व्यवसाय करने की सुगमता" में भारत की रैंकिंग वर्ष 2014 में 142 से बढ़कर वर्ष 2019 में 63 तथा 'सीमा पार व्यापार' में रैंकिंग 122 से बढ़कर 68 हो गई।

iv) कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 6 दिसंबर, 2018 को नई व्यापक "कृषि निर्यात नीति" का आरंभ की गयी।

v) देश में निर्यात अवसंरचना में अंतराल को कम करने के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से एक नई 'निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम' (टीआईईएस) आरंभ की गयी।

vi) दिनांक 01.04.2015 से पोत लदान पूर्व एवं पोत लदान पश्चात रूपया निर्यात ऋण पर ब्याज समकरण स्कीम को आरंभ किया गया जिसमें श्रम गहन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए 3% की दर पर ब्याज समकरण प्रदान किया गया। दिनांक 2.11.2018 से एमएसएमई क्षेत्रों के लिए दर को बढ़ाकर 5% किया गया तथा दिनांक 2.1.2019 से इस स्कीम के तहत व्यापारी निर्यातकों को शामिल किया गया।

vii) विशिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए उच्च परिवहन लागत की हानि को कम करने हेतु "परिवहन और विपणन सहायता" (टीएमए) नामक एक नई स्कीम आरंभ की गई।

\*\*\*\*\*

दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

अनिवार्य निर्यात नियम हेतु प्रस्ताव

3832. श्री वेलुसामी पी.:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या जब घरेलू उत्पादन, घरेलू मांग से अधिक है तो सरकार का अनिवार्य निर्यात नियम हेतु कोई प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें घरेलू उत्पादन की उत्पादन लागत से कम हो, तो क्या सरकार कीमतों में अंतर को कम करने के लिए प्रोत्साहन और नकद राजसहायता सहित किसी प्रकार की सहायता प्रदान करेगी; और
- (घ) अनिवार्य निर्यात नियम के अंतर्गत वस्तुओं या शामिल की जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और इन नियमों का अनुपालन न करने हेतु अर्थदण्ड प्रावधान क्या हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) : घरेलू बाजार हेतु निर्धारित चीनी की न्यूनतम कीमतों से अंतराष्ट्रीय बाजार में प्रचलित चीनी की कीमतें कम होने की वजह से, भारत सरकार ने मौजूदा चीनी के सीज़न 2019-20 (अक्टूबर-सितम्बर) हेतु चीनी मिल द्वारा चीनी के निर्यात पर 10,448/- रु. प्रति टन दर के अंतर की सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

(घ) : उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*

दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

राष्ट्रीय संभार-तंत्र नीति

3828. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा वाणिज्य और व्यापार हेतु एक प्रारूप राष्ट्रीय संभार तंत्र नीति तैयार की गई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इसका लक्ष्य व्यापारियों की उच्च लेन-देन लागत को कम करना है;
- (घ) यदि हां, तो यह किस हद तक लागत को कम कर सकता है;
- (ङ) अन्य विकसित देशों के साथ इसकी तुलना किस ढंग से की जा सकती है; और
- (च) सीमा-शुल्क और अन्य सांविधिक प्रक्रियाओं में निर्यात और आयात के डिजिटलीकरण प्रक्रियाओं के लिए प्रलेखन के सरलीकरण हेतु उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी हाँ। प्रस्तावित नीति का विजन उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं तथा कुशल श्रमबल का लाभ उठाते हुए एक समेकित, निर्बाध, दक्ष, भरोसेमंद, हरित, संधारणीय एवं लागत प्रभावी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के जरिये देश के आर्थिक विकास और व्यवसाय प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करना है।

(घ) एवं (ङ): हालांकि, भारत के लिए लॉजिस्टिक्स लागत का कोई आधिकारिक आकलन नहीं है तथापि कुछ निजी संस्थानों ने लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के 13 से 14 प्रतिशत होने का आकलन किया है। प्रस्तावित नीति का लक्ष्य इसे घटाकर जीडीपी के 9-10 प्रतिशत तक लाना है।

(च) राजस्व विभाग, सीबीआईसी ने डिजिटाइजेशन के जरिये निर्यात एवं आयात के लिए प्रलेखन को सरल बनाने के लिए कई पहलें की हैं जैसे (i) स्विफ्ट (व्यापार के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस) (ii) डिजिटल हस्ताक्षर का अंगीकरण (III) 'सुगमित' प्रवेश बिलों एवं फैक्टरी स्टफ्ड कंटेनरों और चुने हुए बंदरगाहों पर निःशुल्क शिपिंग बिलों के तहत निर्यातित वस्तुओं के लिए 24x7 कस्टम्स क्लियरेन्स (IV) इंपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (आईडीपीएमएस) आयातों के भुगतान एवं प्रभावी निगरानी के लिए दक्ष डाटा प्रोसेसिंग को सुगम बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ संयुक्त रूप से लांच किया गया -(V) ई-संचित (VI) दो नए आईटी मॉड्यूल आईसीईडीएसएच अर्थात (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मोनीटरिंग डैशबोर्ड) एवं अतिथि एप, यात्रियों द्वारा बैगोज के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किये जाने के लिए (VII) पीसीएस 1X जो बंदरगाह संबंधित प्रोसेस के लिए भारतीय बंदरगाह एसोसिएशन द्वारा विकसित एक प्लेटफॉर्म है।

दिनांक 11 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात

3817. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात के बारे में नीति का ब्यौरा क्या है;
- (ख) बुंदेलखंड सहित देश से निर्यात किए जाने वाले जैविक कृषि उत्पादों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए किसानों को दी जाने वाली नई संभावित रियायतें क्या हैं?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री**

**(श्री पीयूष गोयल)**

(क) किसी उत्पाद को 'जैविक उत्पाद' के रूप में निर्यात करने की अनुमति तभी दी जाती है जब उसके साथ वाणिज्य विभाग के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय(एनएबी) द्वारा प्रत्यापित एक प्रमाणन निकाय द्वारा जारी एक लेन-देन प्रमाणपत्र संलग्न होता है। निर्यात के लिए 'जैविक उत्पादों' को इस प्रकार तभी प्रमाणित किया जाएगा जब वे एनपीओपी में वर्णित मानकों के अनुरूप उत्पादित, प्रसंस्कृत और पैकड हो।

(ख) क्षेत्रवार डाटा का रखरखाव नहीं किया जाता है। देश से 2018-19 के दौरान निर्यातित जैविक कृषि उत्पादों का राज्य/संघ शासित प्रदेश वार विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ग) जैविक उत्पादों के निर्यात का संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। कृषि निर्यात नीति में प्रावधान है कि जैविक उत्पादों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्तशासी संगठन, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को जैविक उत्पादों के संवर्धन के लिए अधिदेशित किया गया है। एपीडा अपनी निर्यात संवर्धन स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत जैविक उत्पादों के निर्यातकों को सहायता उपलब्ध कराता है। निर्यातकों को एपीडा जैविक उत्पादों संवर्धन के लिए विभिन्न कार्यकलापों को करता है अर्थात एनपीओपी के तहत नए उत्पादों को शामिल करना, एनपीओपी मानकों को आयतक देशों द्वारा मान्यता दिलाने का प्रयास करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी करके ' इंडिया आर्गेनिक' ब्रांड को बढ़ावा देना, क्रेता-विक्रेता बैठकों( बीएसएम) का आयोजन करना, क्षमता निर्माण एवं लोकसंपर्क कार्यक्रमों इत्यादि का आयोजन करना।



जैविक उत्पादों का निर्यात (2018-19)

क्रम.सं.	राज्य का नाम	निर्यातित मात्रा(एमटी में)	मूल्य(लाख रुपये में)
1	आंध्रप्रदेश	3726.81	13075.60
2	असम	458.13	1043.38
3	छत्तीसगढ़	15.80	306.77
4	दमन एवं दीव	25555.20	13006.12
5	गोवा	489.78	3760.13
6	गुजरात	64910.65	53026.34
7	हरियाणा	29677.67	23715.69
8	हिमाचल प्रदेश	11.27	134.36
9	जम्मू एवं कश्मीर	2169.51	3891.95
10	झारखंड	2.87	43.40
11	कर्नाटक	11897.28	23704.95
12	केरल	6139.12	26166.99
13	मध्यप्रदेश	314115.05	140197.07
14	महाराष्ट्र	75304.17	46326.00
15	मेघालय	0.70	24.39
16	नई दिल्ली	40151.32	27937.37
17	पंजाब	248.18	298.72
18	राजस्थान	23269.27	13843.49
19	तमिलनाडु	3382.73	9473.72
20	तेलंगाना	4000.27	81464.39
21	उत्तरप्रदेश	4658.09	7184.69
22	उत्तराखंड	191.99	606.95
23	पश्चिम बंगाल	3802.72	26205.30
कुल :		614178.56	515437.75

स्रोत: ट्रेसनेट/एपीडा

\*\*\*\*

दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

जीईएम पोर्टल के माध्यम से माल का आदान-प्रदान

3814. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से माल का आदान-प्रदान करने में सक्षम क्रेताओं और विक्रेताओं की कुल संख्या कितनी है;
- (ख) जीईएम पोर्टल की स्थापना के बाद से अब तक इस पर होने वाले लेनदेन की कुल संख्या और धनराशि कितनी है;
- (ग) क्या सभी सरकारी एजेंसियों को जीईएम पोर्टल के माध्यम से सामान खरीदने का निर्देश दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी एजेंसियों की सूची क्या है; और
- (घ) क्या जीईएम पोर्टल ने सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता स्थापित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुमानतः कितनी धनराशि बचाई गई है?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री**

**(श्री पीयूष गोयल)**

(क): गवर्नमेंट-ई मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर 03.12.2019 तक पंजीकृत सरकारी क्रेता संगठनों की कुल संख्या 40,745 है और 03.12.2019 तक जीईएम पोर्टल पर पंजीकृत विक्रेताओं एवं सेवा प्रदाताओं की कुल संख्या 304,462 है।

(ख): 03.12.2019 तक किए गए कुल ऑर्डरों की संख्या 2,806,803 है जिनका मूल्य 35,486 करोड़ रुपये है।

(ग): जी हां। वित्त मंत्रालय द्वारा साधारण वित्तीय नियम, 2017 के नियम सं. 149 के जरिये मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों द्वारा जीईएम के माध्यम से खरीद अनिवार्य कर दी गई है। सीपीएसई के मामले में, सरकार ने उनकी सभी खरीद पर जीईएम का उपयोग करने का निर्देश जारी किया है।

(घ): जी हां। जीईएम द्वारा उपलब्ध पारदर्शिता, दक्षता एवं समावेशन के परिणाम स्वरूप सरकारी खजाने में लगभग 15-25% (ऑटोमोबाइल को छोड़कर जहां यह 12% है) की औसत बचत हुई है।

\*\*\*\*\*

दिनांक 11 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

कुक्कुट क्षेत्र हेतु निर्यात जोन

3805. डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुक्कुट उत्पादों की आपूर्ति और निर्यात बढ़ाने के लिए उत्पाद संकुल स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे संकुलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेलंगाना राज्य में इस तरह के संकुल स्थापित करने की योजना है; और

(घ) देश में कुक्कुट उत्पादों के लिए पृथक् निर्यात क्षेत्र स्थापित करने में सरकार के समक्ष आ रहे अवरोधों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) एवं (ख) : जी, हां। कृषि निर्यात नीति, 2018 के तहत तमिलनाडु के नामाक्कल, सेलम एवं इरोड जिले के पॉल्ट्री क्लस्टरों की पॉल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति करने एवं निर्यात संवर्धन करने के लिए पहचान की गई है।

(ग): वर्तमान में, तेलंगाना राज्य में ऐसे किसी क्लस्टर की स्थापना करने की कोई योजना नहीं है।

(घ) : अलग निर्यात जोन की संकल्पना सरकार द्वारा 2001 में एक्जिम नीति के जरिये शुरू की गई थी। कृषि निर्यात जोनों (एईजेड) का कार्य निष्पादन संतोषजनक न होने के कारण, मंत्रालय ने इसके पुनः-मूल्यांकन के लिए एक पीअर समीक्षा समूह का गठन किया। पीअर समीक्षा समूह की अनुशंसाओं के आधार पर नए अलग एईजेड पर विचार न करने एवं अनुमोदन न देने का फैसला किया गया। हितधारकों के बीच दिलचस्पी और समन्वय की कमी, राज्य सरकारों द्वारा फंड के अलग आवंटन का अभाव, अलग एईजेड का परियोजना उन्मुखीकरण एवं संकल्पनागत डिजाइन की कमी इत्यादि जैसी बाधाएं देखी गईं। तथापि, पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पॉल्ट्री एवं पॉल्ट्री उत्पादों के निर्यात के प्रयोजन से विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआईई) के, मानकों के अनुरूप 'कंपार्टमेंट फ्री फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा' के रूप में 29 पॉल्ट्री प्रतिष्ठानों (अर्थात् तमिलनाडु में 10 प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र में 13 प्रतिष्ठान और छत्तीसगढ़ में 6 प्रतिष्ठान) को मान्यता दी गई है।

\*\*\*\*

दिनांक 11 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

अंगूर निर्यात संबंधी कर

3773. डॉ. भारती प्रवीण पवार:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या अंगूरों के निर्यात पर कर लगाया जा रहा है;
- (ख) यदि हां, तो वर्तमान में लगाए जा रहे करों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने हेतु अंगूरों संबंधी कर को समाप्त करने पर विचार कर रही है; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री  
(श्री पीयूष गोयल)

(क): जी नहीं, सरकार ने अंगूर के निर्यात पर अब तक कोई कर अधिरोपित नहीं किया है।

(ख), (ग) एवं (घ) : उपर्युक्त (क) की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*

दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

**भारतीय निर्यात नीति**

**3755. श्री राजीव प्रताप रूडी:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार की निर्यात नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;
- (ख) इस नीति के साथ कुल कितने देश जुड़े हैं;
- (ग) क्या सरकार का छोटे देशों को निर्यात करने का विचार है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) निर्यात कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है और यदि उन्हें आरंभ किया जा चुका है तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन देशों को किए गए वार्षिक निर्यात का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क): भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित प्रणाली) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची-2 के अनुसार सभी वस्तुओं/मदों को तीन श्रेणियों, नामतः (i) मुक्त (ii) निषिद्ध; और (iii) प्रतिबंधित में वर्गीकृत किया गया है। कुछ मदों को छोड़कर, सभी मदें निर्यात हेतु मुक्त हैं। तथापि, 'मुक्त' निर्यात करना तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अधीन है। जबकि 'निषिद्ध' मदे निर्यात हेतु अनुमत नहीं है, 'प्रतिबंधित' श्रेणी के अधीन आने वाली मदें विदे"। व्यापार महानिदे"ालय द्वारा जारी निर्यात प्राधिकार पत्र के अधीन निर्यात हेतु अनुमत है।

(ख): विदे"। व्यापार नीति 2015-20 के तहत यथा प्रतिबंधित मदों को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय दायित्व/संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध के अनुसार किसी भी दे"। को निर्यात किया जा सकता है।

(ग) (घ) और (ङ.): भारत ने छोटे दे"ों सहित, बड़ी संख्या में व्यापार साझेदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों के द्वारा अधिमान्य शुल्कों पर इन व्यापार साझेदारों को निर्यात के लिए अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। पिछले 3 वर्षों में छोटे दे"ों सहित, मुक्त व्यापार समझौता साझेदारों का वार्षिक निर्यात अनलग्नक में दिया गया है।

“भारतीय निर्यात नीति” पर दिनांक 11.12.2019 को दिये जाने वाले उत्तर के लिए लोकसभा

अंतराकिंत प्रश्न संख्या 3755 का अनुलग्नक

पिछले 3 वर्षों के दौरान छोटे देशों सहित, मुक्त व्यापार समझौता के साझेदारों को भारत का निर्यात (अमेरिकी बिलियन डॉलर में)

मुक्त व्यापार समझौता साझेदार	2016—17	2017—2018	2018—2019
एसोसियेशन ऑफ साउथ इस्ट एशियन नेशंस (एएसईएन)	31.0	34.2	37.5
जपान	3.8	4.7	4.9
साउथ कोरिया	4.2	4.5	4.7
मलेशिया	5.2	5.7	6.4
सिंगापुर	9.6	10.2	11.6
थाइलैंड	3.1	3.7	4.4
भूटान	0.5	0.5	0.7
नेपाल	5.5	6.6	7.8
श्रीलंका	3.9	4.5	4.7
साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया (एसएफटीए)	19.2	23.1	25.3

\*\*\*

**दिनांक 11 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए**

निर्यात के लिए मत्स्यपालन और डेयरी संकुल

3735. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:  
श्री श्रीनिवास दादासाहिब पाटील:  
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:  
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:  
श्री कुलदीप राय शर्मा:  
श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:  
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मत्स्यपालन एवं डेयरी संबंधी उत्पादों के मामले में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक होने के नाते भारत के पास इसके निर्यात की अपार संभावनाएं हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;  
(ख) क्या सरकार ने उन जिलों की पहचान की है जिनमें मत्स्यपालन एवं डेयरी उत्पादों की क्रमशः संभावना है तथा उन्हें उक्त उत्पादों के निर्यात के लिए संकुलों के रूप में विकसित किए जाने की संभावना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी उपलब्धियां हासिल हुई हैं;  
(ग) क्या अन्य विकासशील एवं विकसित देशों ने भारत के कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से मत्स्यपालन एवं डेयरी उत्पादों में निवेश करने में रुचि दिखाई है;  
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मत्स्यपालन एवं डेयरी उत्पादों के लिए अच्छी कीमत हासिल करने में ये किस हद तक सहायक सिद्ध होंगे;  
(ङ) कृषि निर्यात नीति, 2018 के कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा क्या है;  
(च) क्या सरकार ने राज्यों पर उक्त नीति के प्रभाव का आकलन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और  
(छ) किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी सफलता हासिल हुई है?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री**  
**(श्री पीयूष गोयल)**

(क) : जी हाँ। वर्ष 2018-19 में भारत ने 6.8 बिलियन अम.डा (1.39 मिलियन टन) के समुद्री उत्पादों का निर्यात किया तथा देश में कुल मत्स्य उत्पादन लगभग 13.34 मिलियन टन था जिसमें विगत वर्ष के उत्पादन (वर्ष 2017-18 में 12.59 मिलियन टन) की तुलना में लगभग 6% की वृद्धि और निर्यात मात्रा (1.37 मिलियन टन) में 1.1% की वृद्धि हुई। अतः भारत से मत्स्य उत्पादों के निर्यात की संभावना है।

डेयरी क्षेत्र के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 176.35 मिलियन मीट्रिक टन के साथ दुग्ध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर रहा। वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का निर्यात 2423 करोड़ रूपए का हुआ जो विश्व निर्यात का लगभग 1% है। इसलिए भारतीय दुग्ध उत्पादों के निर्यात भी वृद्धि की संभावना है।

(ख) : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) सभी तटवर्ती राज्यों में अक्वाकल्चर की कल्स्टर कृषि को बढ़ावा देता है तथा 19,854 किसानों को शामिल करके 918 जलकृषि समितियों का गठन किया है। इन सोसायटियों का जिलावार विवरण अनुबंध-I पर दिया गया है। इन सोसायटियों के माध्यम से एम्पीडा संधारणीय जलकृषि को बढ़ावा देने तथा जलकृषि के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। रोगमुक्त उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए इन सोसाइटियों के किसानों को बेहतर प्रबंधन प्रक्रियाओं (बीएमपीएस) का पालन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

डेयरी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के संबंध में, उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले और गुजरात में बनासकांठा जिले को डेयरी उत्पादों के लिए कल्स्टर के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

(ग) और (घ) : कुछ देशों ने भारत के कृषि क्षेत्र में निवेश करने में रुचि दिखाई है। विगत तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल, 2016 से जून, 2019 तक में कृषि सेवा क्षेत्र में विदेशी निवेश लगभग 283.5 मिलियन अम.डा रहा है। इसमें से, मात्स्यिकी सेक्टर में 3.8 मिलियन अम.डा का और डेयरी सेक्टर में 1.94 मिलियन अम.डा. का (डीपीआईआईटी में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) निवेश हुआ।

(ड.) और (च): कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम अनुबंध-II पर संलग्न है। दिसम्बर 2018 में नीति के आरम्भ के बाद से और यह कार्यान्वयन का आरम्भिक चरण है और राज्यों में अब तक नीति के प्रभाव का आकलन नहीं किया गया है।

(छ) : मात्स्यिकी क्षेत्र के संबंध में, सरकार ने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) के माध्यम से कुछ सक्रिय उपाय किए हैं उनका विवरण अनुबंध- III पर दिया गया है। डेयरी क्षेत्र के संबंध में, पशुपालन और डेयरी विभाग निम्नलिखित डेयरी विकास स्कीमों को लागू कर रहा है जिनका उद्देश्य देश भर में डेयरी प्रसंस्करण और विपणन अवसंरचना का सृजन करके किसानों को लाभ पहुँचाना है।

i. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)

ii. राष्ट्रीय दुग्ध योजना - I (एनडीपी-I)

iii. डेयरी उद्यमिता विकास स्कीम (डीईडीएस)

iv. डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि स्कीम (डीआईडीएफ)

ये स्कीमों अलग-अलग राज्यों में डेयरी उद्योग में उनकी क्षमता की वृद्धि के लिए राज्य सरकारों एवं राज्य डेयरी परिसंघों/ दुग्ध यूनियनों का सहायता प्रदान करती हैं।

\*\*\*\*\*



अनुबंध - I

राज्य	जिला	एनएसीएसए के साथ पंजीकृत संस्थाओं की संख्या	कृषकों की कुल संख्या
आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	149	3058
	पश्चिमी गोदावरी	130	2758
	कृष्णा	181	4124
	गुंटूर	93	2075
	प्रकाशम	26	577
	नेल्लोर	85	1822
	श्रीकाकुलम	26	445
	विजाग	4	80
उप-योग		<b>694</b>	<b>14939</b>
ओडिशा	बालासौर	46	995
	भद्रक	19	394
	गंजम	4	92
	जगतसिंहपुर	3	64
	पुरी	6	163
	केन्द्रपाडा	1	23
उप-योग		<b>79</b>	<b>1731</b>
तमिल नाडु	कुड्डालोर	4	87
	कांचीपुरम	1	20
	नागीपत्तनम	35	859
	थीरुवुरू	6	142
	विल्लीपुरम	4	80
	तंजावुर	3	70
उप-योग		<b>53</b>	<b>1258</b>
कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	1	10
	उडुपी	10	195
	उत्तर कन्नड	10	178
		<b>21</b>	<b>383</b>
पश्चिम बंगाल	पूर्वी मेदिनीपुर	58	1270
	दक्षिण 24 परगना	9	197
	उत्तर 24 परगना	1	25
		<b>68</b>	<b>1492</b>
केरल	एर्नाकुलम	<b>2</b>	<b>41</b>
गोवा	दक्षिण गोवा	<b>1</b>	<b>10</b>
कुल		<b>918</b>	<b>19854</b>

## अनुबंध - II

i. एईपी के कार्यान्वयन को मॉनिटर करने के लिए एक अंतर - मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है।

ii. आवश्यक कमोडिटी की मूल्य समीक्षा सम्बंधी मौजूदा सीओएस के अधिदेश को खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक कृषि कमोडिटी की पहचान, जिन पर निर्यात प्रतिबंध केवल जरूरत पडने पर लगाया जाएगा पर विस्तारित किया गया।

iii. कृषि निर्यात नीति की जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गयीं।

iv. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने राज्य -विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की तथा पुनरीक्षण और उनके अंतिम रूप देने के लिए अलग-अलग राज्यों के साथ साझा भी किया गया। महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने उनसे संबंधित योजनाओं का पुनरीक्षण किया और अंतिम रूप दे दिया है। इस मामले को शेष राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेश के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

v. 27 राज्यों एवं 2 केन्द्रशासित प्रदेशों ने कृषि निर्यात संवर्धन के लिए नोडल अभिकरणों को नामित किया है।

vi. एपीडा तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने कृषि निर्यात में सहकारी समितियों की अधिक भागीदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

vii. राज्य प्राधिकरणों, सहकारी समितियों, निर्यातकों के मध्य बीएसएम अक्टूबर से दिसम्बर, 2019 के दौरान चरण वार प्रणाली में सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में एनसीडीसी के साथ आयोजित किया जा रहा है।

viii. निर्यातकों के साथ बातचीत करने के लिए सहकारी समितियों, एफपीओ के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एपीडा द्वारा अपनी वेबसाइट पर एक कृषक संयोजक पोर्टल की स्थापना की गई है।

ix. एईपी के तहत, विशिष्ट उत्पादों के निर्यातउन्मुख उत्पादों के लिए कुछ क्लस्टरों को अभिज्ञात किया गया है एपीडा प्रत्येक राज्य में क्लस्टर स्तर पर निर्यातकों एवं किसान - उपजकर्त्ता संगठनों (एफपीओ) के मध्य क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित कर रहा है।

x. वर्ष 2019-20 के लिए 206.80 करोड रूपए के परिव्यय से केन्द्रीय सेक्टर की एक स्कीम - “कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन” को अनुमोदित किया गया है।

### अनुबंध - III

एपीडा जलकृषि में बेहतर विनिर्माण अभ्यास को प्रक्रियाओं करने के लिए मत्स्य कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कृषक पूंजीगत लागत के 50 % की दर से या अधिकतम 5 लाख रुपये की सहायता प्राप्त करने के पात्र है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी के लिए सहायता राशि पूंजीगत लागत का 75% या अधिकतम 7.5 लाख रुपये होगी। इस सहायता में जैविक सुरक्षा अवसंरचना का संस्थापन शामिल है।

एम्पीडा प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान, कृषक बैठकें, कार्यशालाएं आदि आयोजित करके मत्स्य कृषकों को क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास सहायता भी प्रदान करता है। एम्पीडा अपने राष्ट्रीय संघारणीय जलकृषि केन्द्र (एनएसीएसए) नामक सोसायटी के माध्यम से जलकृषि कृषक कल्याण सोसायटियों का सृजन करके क्लस्टर खेती को भी प्रोत्साहित करता है।

देश में सभी समुद्री तटीय राज्यों में स्थापित एम्पीडा के इकाई कार्यालय देश में जलकृषि कृषकों को कृषि विकास सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कृषकों को सम्मिलित कर के इन इकाई कार्यालयों द्वारा निदेशन फार्म परियोजनाएं का संचालन किया जा रहा है। एंटीबायोटिक ससूचन के लिए अपने उत्पाद परीक्षण के लिए कृषकों को सेवा प्रदान करने वाले कृषि क्षेत्र के नजदीक 11 ईएलआईएसए प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है।

राजीव गांधी जलकृषि केन्द्र (आरजीसीए) एम्पीडा का अनुसंधान एवं विकास स्कन्ध, ने निर्यातउन्मुख जलकृषि का विविधीकरण करने के लिए 11 परियोजनाओं की स्थापना की है। ये परियोजनाएं बीज की बिक्री करके तथा तकनीकी सहायता प्रदान करके जलकृषि को सुविधा प्रदान कर रही है।

एम्पीडा की उपर्युक्त पहलों का लक्ष्य जलकृषि के उत्पादन और समुद्री उत्पाद के निर्यात में वृद्धि करना है।

\*\*\*\*\*

दिनांक 11 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

रेलवे साइडिंग की स्थापना

3728. श्री दयाकर पसुनूरी:  
डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:  
श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खम्माम जिले में 500 से अधिक ग्रेनाइट स्लैब उद्योग और 200 से अधिक ग्रेनाइट टाइल उद्योग हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) खम्माम जिले में पंडीलापल्ली रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे साइडिंग की स्थापना करके उक्त ग्रेनाइट के निर्यात हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि और अधिक राजस्व सृजित किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री  
(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वाणिज्य विभाग ने विभिन्न उत्पाद समूहों/क्षेत्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना की है। ग्रेनाइट सहित प्राकृतिक पत्थरों के निर्यात संवर्धन का कार्य रसायन एवं संबंधित उत्पाद संवर्धन परिषद (केपेक्सिल) जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, अधिदेशित किया गया है। परिषद ने सूचित किया है कि खम्माम ग्रेनाइट एसोसिएशन ने जिले में 469 ग्रेनाइट स्लैब फैक्ट्रियों के होने और ग्रेनाइट टाइल एसोसिएशन खम्माम ने 114 ग्रेनाइट टाइल उद्योगों के होने की जानकारी दी है। ग्रेनाइट स्लैब फैक्ट्रियों और ग्रेनाइट टाइल उद्योगों का ब्यौरा अनुबंध-1 में देखा जा सकता है।

(ख) और (ग) : यह सूचित किया गया है पंडीलापल्ली रेलवे स्टेशन माल की आवाजाही के लिए नहीं खुला है और वर्तमान में इस स्टेशन पर केवल यात्रियों की आवाजाही होती है। निकटतम माल शेड खम्माम है, जो कि पंडीलापल्ली स्टेशन से 9 कि.मी की दूरी पर है। ग्रेनाइट के लदान के लिए पंडीलापल्ली स्टेशन पर एक साइडिंग केवल जमा शर्तों पर प्रदान की जा सकती है।

\*\*

**खम्माम ग्रेनाईट स्लैब फैक्ट्री के मालिकों के मोबाइल नंबर**

क्रम.सं	ग्रेनाईट का नाम	मालिक का नाम	मोबाइल नंबर
1	रेणुका ग्रेनाईट्स	पारा नागेश्वरा राव	99497 21116
2	रानी ग्रेनाईट्स	पारा नागेश्वर राव	99497 21116
3	एस एस आर ग्रेनाईट्स	एस रमेश रेडी	99081 53833
4	श्री वेंकटेश्वरा ग्रेनाईट्स	नवीन कुमार	94406 24733
5	श्री वेंकटेश्वरा स्टोन एक्स	आर महेंद्र राव	94406 24737
6	साई गणपति ग्रेनाईट्स	वी सुरेश	99481 30924
7	आर के ग्रेनाईट्स	ए चंद्रहास रेड्डी	98480 22640
8	नीरजा रॉक्स	बी नागा प्रसाद राव	95508 42087
9	श्री रामा ग्रेनाईट्स	एंड शेखर	98662 78428
10	भूमा ग्रेनाईट्स उद्योग	ए नागेश्वर राव	99498 08200
11	हरे रामा ग्रेनाईट्स	ए वाला गोविंदा रेड्डी	94901 21877
12	वेंकटा साई ग्रेनाईट्स इंडस्ट्रीज	एस वेंकटेश्वरा राव	93932 27555
13	शक्ति ग्रेनाईट्स	के शिवा राम कुमार	94401 73283
14	श्री कृष्णा साई ग्रेनाईट्स	बी शराबंदी	94401 53783
15	श्री न्यू वेंगा अंबा ग्रेनाईट्स	डी गुरावैया	70326 62399
16	खाजा ग्रेनाईट्स	एम.नजीर	9866446725
17	श्री वेंकटा दिनेश ग्रेनाईट्स	एम.कोइन्दैय्या	9848188457
18	कम्माम माईस	सफर बाई मंचूरी	9879525509
19	श्री साई हनुमान ग्रेनाईट्स	एस.सुधाकर राव	9949235501
20	वेंकटाद्री ग्रेनाईट इंडस्ट्रीस	बी.राजू	9912987630
21	श्री श्री श्री साई बालाजी	के चन्द्रशेखर रेड्डी	8106727500
22	श्री लक्ष्मी ग्रेनाईट मिनेरल्स	एम.सुनील	9010533353
23	कंथीका ग्रेनाईट्स	सिददा प्रकाश राव	9652890648
24	श्री रमेश्वरा ग्रेनाईट्स	ए.राम प्रभाकर रेड्डी	9912948041
25	श्री आदित्य ग्रेनाईट्स	एम.वेंकन्ना	9963387189
26	श्री शुबोदया ग्रेनाईट्स	के.वेंकटेशवरलु	9704727333
27	श्री स्नेहा संध्या ग्रेनाईट्स	टी.वेंकटरमाइया	9949228739
28	श्री शरनम गणेश ग्रेनाईट्स	एन.रवि	9440367643
29	मंजूनधा ग्रेनाईट्स	नुनना वेंकटेश्वरा राव	9394626919
30	बीटीआर ग्रेनाईट्स एंड एक्स्पोजेस	बी रामचन्द्र राव	9885331571
31	अल करीम ग्रेनाईट्स	एस के रियाज़	9908802402
32	श्री साई तेजा ग्रेनाईट्स	टी मधुसूदन राव	9490759769
33	श्री ग्रेनाईट्स	एस वेंकटेश्वरा राव	9849244266
34	श्री सत्या ग्रेनाईट्स	के श्रीनिवास राव	8008302999
35	श्री विगनेश्वारा ग्रेनाईट्स	के वेंकेटराव	8374322949
36	शिवा राजेश्वरी ग्रेनाईट्स	वी नागेश्वर राव	9603419509
37	मधुसूदन ग्रेनाईट्स	बी. वेंकटेश्वरा राव	9848233798
38	श्री हरी ग्रेनाईट्स	सोनू	9492004318
39	के जी एन ग्रेनाईट्स	बी वेंकटेश	9949364674
40	श्री साईनाथ ग्रेनाईट्स	रामचन्द्र रेड्डी	8106783336
41	श्री आर रामलिंगेश्वरा स्वामी ग्रेनाईट्स	पी. स्वामी	9866122507
42	बी जी आर ग्रेनाईट्स	हरी कृष्ण रेड्डी	9866061321
43	श्री देवी ग्रेनाईट्स	एन वेंकटेश्वरा राव	9000143525
44	श्री देवी ग्रेनाईट्स इंडस्ट्रीज	एन.वेंकटेश्वरा राव	9000143525
45	बालाजी ग्रेनाईट्स	सुनील	9441912708
46	लक्ष्मी प्रसन्ना ग्रेनाईट्स	ई वेंकटेश्वरा राव	8106878459
47	रामगोपाल ग्रेनाईट्स	तुलसी राम	9848970819

48	श्री साई ललिता ग्रेनाईट्स	के शिवशंकर रेड्डी	9989606026
49	कल्पना ग्रेनाईट्स	के जया चन्द्र रेड्डी	9000203784
50	मेसर्स लक्ष्मी श्रीनिवास राव	वाई नागार्जुना राव	99633183019
51	जश्वन्थ ग्रेनाईट्स	डी.राकेश	9866661214
52	श्रीदेवी स्टोनेस	एन वेंकटेश्वरा राव	9000143525
53	श्रीनिवासा ग्रेनाईट्स इंडस्ट्री	डी राजेश	9866586662
54	सिरी ग्रेनाईट्स	डी वीरा रेड्डी	9948182184
55	श्री पी रामप्पा ग्रेनाईट्स इंडस्ट्री	पी स्वामी	9866122507
56	वर्षित ग्रेनाईट्स	वी रविकुमार	9849441815
57	निहारिका ग्रेनाईट्स	एल.वी.निखित साई	9848125094
58	वेंकटा रमन्ना रॉक्स	आर.श्रीनिवास राव	9666630683
59	के जे आर ग्रेनाईट्स	के सुरेश	9848517751
60	श्री रामा ग्रेनाईट्स	ए राजा राम	9849126442
61	बगावती ग्रेनाईट्स	डी के कृष्णमूर्थी	98469207561
62	विष्णुवर्धन ग्रेनाईट्स	डी के कृष्णमूर्ती	9849207561
63	श्री अभ्यंजनेय ग्रेनाईट्स	भाद्र रेड्डी	9848227275
64	साई प्रिया ग्रेनाईट्स	रवि चन्द्र	9848156561
65	ओम श्री थिरुमला	जे श्रीनिवास राव	9848238769
66	जय रामनंदजय ग्रेनाईट्स	रविन्द्र रेड्डी	9948280140
67	साई लीला ग्रेनाईट्स	आर नागेश्वरा राव	9849334868
68	भविष्य सी श्री ग्रेनाईट्स	रवि	9490300288
69	श्री निवासा ग्रेनाईट्स	वेंकटेश रेड्डी	9705416165
70	आर के ग्रेनाईट्स (न्यू)	टी किशन	9581247891
71	रोहिणी ग्रेनाईट्स	एन वेंकटेश्वरा राव	9394626919
72	श्री लीला ग्रेनाईट्स इंडस्ट्री	एवीएन श्रीनिवास राव	9440556575
73	नैनू ग्रेनाईट्स	डी रमेश	9866023207
74	के वीपी ग्रेनाईट्स	के वी पुल्ला राव	8096146837
75	साई नंदिता ग्रेनाइट्स	एन श्री निवास राव	9949413399
76	सागरिका ग्रेनाईट्स	वरा प्रसाद येदव	9848993338
77	जी के ग्रेनाईट्स	वी पवन कुमार	9550458244
78	श्री वेंकटेश्वरा स्टोन्स	आर महेन्द्र राव	9440624733
79	जय हनुमान ग्रेनाईट्स	एम शेखर	7032394713
80	जे के ग्रेनाईट्स	सीएच हेमावती	9963923037
81	राणा ग्रेनाईट्स इण्डस्ट्री	किशोर	9849587128
82	प्रदीप ग्रेनाईट्स	प्रदीप	9959588889
83	शेषाद्री ग्रेनाईट्स	डी रेड्डी	9989149038
84	श्री साई ग्रेनाईट्स	बोडेपडी रमेश	9985101858
85	ज्योस्मिता ग्रेनाईट्स	आई शेखर	9052059888
86	श्री साई भागीरथी ग्रेनाईट्स इण्डस्ट्री	एम कोटैया	9908153287
87	श्री सत्य ग्रेफाइट इण्डस्ट्री	सीएच नरसैया	9441518183
88	श्री प्रणव इण्डस्ट्री	एन वेंकटेश्वर राव	9000143525
89	सबरी ग्रेनाईट्स	के सत्यनारायण रेड्डी	9948855003
90	कार्तिकेय ग्रेनाईट्स	वेंकटरमना	8978851998
91	रोशनी ग्रेनाईट्स	डी राम मोहन	9848156375
92	जगदंबा इण्डस्ट्रीज	पी रमेश	9390949988
93	श्री मंजू ग्रेनाईट्स	डी वेंकटरमाना	8142803999
94	श्री गोपाल कृष्ण ग्रेनाईट्स	बी गोपाल	9948772348
95	उज्वला ग्रेनाईट्स इण्डस्ट्री	जे रवि कुमार	9908633388

96	श्री विजय ग्रेनाइट्स	वी विजय कुमार	9666688231
97	श्री शिवा बालाजी ग्रेनाइट्स	सीएच पुरनचन्द्र राव	9490463152
98	श्रीवेंगा मोंम्बा ग्रेनाइट्स इण्डस्ट्री	डी रमैया	9390949966
99	साई गंगा ग्रेनाइट्स	आर प्रसाद	9010658999
100	श्री सोमनंदा ग्रेनाइट्स	एन रामचन्द्र राव	9948589244
101	श्री लक्ष्मीनारासिम्हा ग्रेनाइट्स इंडुस	सीएच राजू	9949903911
102	श्री हरीनाथा ग्रेनाइट्स	जी जे सेकर रेड्डी	9010149392
103	श्री वासूदा ग्रेनाइट्स	के रमेश	9542322262
104	आर पी ग्रेनाइट्स	रघु सत्यानारायण	9491189060
105	साप्तागीरी ग्रेनाइट्स	एम मुरलीकृष्णा	9966278899
106	साई गनेश इंडुस्ट्रीस	मधु	9705169488
107	श्री हमसीनी ग्रेनाइट्स	ए राम प्रभाकर रेड्डी	9912948041
108	श्री वायुसुधा ग्रेनाइट्स	एम विजय कुमार	9396612669
109	सुमानू ग्रेनाइट्स	एम अनिल भार्गव	9849089985
110	सरोजीनी ग्रेनाइट्स	वी राजेश	9293784064
111	श्री लक्ष्मी वैकटाश्वरा ग्रेनाइट्स	जी कृष्णाह	9866189333
112	पवन ज्योति ग्रेनाइट्स इंडुस्ट्री	हाजी नायक	9440033010
113	ओम मनीपादमे ग्रेनाइट्स	आधीनारायणा (वैकटापुरम)	7702053004
114	नागासाई ग्रेनाइट्स	के अनंत रेड्डी (वैकटापुरम)	9440874428
115	दुलाम रॉक्स	डी वैकटारामी रेड्डी	9848995451
	<b>गुरालापाडु</b>		
116	श्री बालाजी ग्रेनाइट्स	एन शिवराम प्रसाद	9440160542
117	श्री बालाजी ग्रेनाइट्स इंडस्ट्रीज	एन शिवराम प्रसाद	9440160542
118	श्री दत्ता ग्रेनाइट्स	एम कल्याण कुमार	9490582243
119	एम एस ग्रेनाइट्स	जे वैकटेश्वर रेड्डी	9908770904
120	शिवा तेजेस्वनी ग्रेनाइट्स	बी रामाकृष्णा रेड्डी	9966022223
121	श्री लक्ष्मी गणेश ग्रेनाइट्स	एस बी सुरेश	9959395202
122	साई लीला ग्रेनाइट्स	एन उपेन्द्र	9849336040
123	मेलर ग्रेनाइट्स	एन उपेन्द्र	9849336040
124	श्री निलय ग्रेनाइट्स	सीएच श्रीधर	9959167043
125	श्री चिन्ना केशव ग्रेनाइट्स	वाई रमेश	9396211625
126	श्रीनिवास ग्रेनाइट्स एंड स्टोन्स	टी कृष्णाई	9490098261
127	एस एल वी ग्रेनाइट्स इंडस्ट्री	पी वी भास्कर रेड्डी	9985711353
128	श्री विनायक स्टोन्स	बी आनंद राव	9848145441
129	शिवा साई ग्रेनाइट्स	पी शिवशंकर रेड्डी	9949234939
130	श्री वैकटेश्वरा ग्रेनाइट्स पॉलिसिंग यूनिट	एम वैकटेश्वर राव	9912644608
131	रामा इंडस्ट्रीज	मड्डी येला रेड्डी	9700059766
132	तिरुमाला ग्रेनाइट्स	के वैकट रेड्डी	9700059766
133	वाई आर ग्रेनाइट्स	मादी येला रेड्डी	9700059766
134	कृष्णा ग्रेनाइट्स इंडस्ट्रीज	एल सूर्या कांथ	9440687174
135	वरसिद्धि विनायक ग्रेनाइट्स	एन वी शिवराम रेड्डी	9000099929
136	महालक्ष्मी इंटरप्राइसेस	बी.एस.पी गांधी	9440160730
137	श्री सुधा ग्रेनाइट्स	एन. सुधाकर	7799385999
138	बी एन आर ग्रेनाइट्स	बी वेनकंना	9440629818
139	लक्ष्मी गणपति ग्रेनाइट्स	डी रघुरामी रेड्डी	9440756156
140	साई चरण ग्रेनाइट्स	डी नागेश्वरा राव	9989133419
141	खम्मम रॉक्स	एम गोपीनाड	9948236661
142	श्री गणपति	एन श्रीनिवास राव	9000186661
143	के आर ग्रेनाइट्स	मड्डी येल्ला रेड्डी	970059766

144	श्री मारुति ग्रेनाइट्स	बी राजेन्द्र प्रसाद	9849437292
145	वैकटा साई गणेश ग्रेनाइट्स	आर नागेश्वर राव	9849334868
146	वी एस ग्रेनाइट्स	टी कोटेश्वर राव	9866583661
147	साई गणेश ग्रेनाइट्स	आर नागेश्वर राव	9849334868
148	धन लक्ष्मी ग्रेनाइट्स	बी मधु सुदन रेड्डी	9666989936
149	श्री लक्ष्मी प्रसन्न ग्रेनाइट्स	वैकटेश्वर राव	986644876
150	एम आर ग्रेनाइट्स	एल्लरेड्डी	9700059766
151	राम देव ग्रेनाइट्स	बी प्रमोद	9440622063
152	विजय लक्ष्मी ग्रेनाइट्स	रमन रेड्डी	9440291466
153	वरलक्ष्मी ग्रेनाइट्स	टी कोटेश्वर राव	9866586661
154	श्री ब्रह्मणी इंडस्ट्री	नागंधा नरेश	9000798579
155	ओम श्री ग्रेनाइट्स	दुर्गा प्रसाद	9908339364
156	श्री साई वृंदावन ग्रेनाइट्स	एन श्रीनिवास रेड्डी	9959597867
157	प्रसन्न ग्रेनाइट्स	ए ईश्वर	9963504505
158	वीनस ग्रेनाइट्स	एन श्रीनिवास रेड्डी	9959597867
159	श्री शेलजा ग्रेनाइट्स	के शेषा रेड्डी	897393939
160	आर एम ग्रेनाइट्स	वीरभद्रम	9866178498
161	ओम श्री श्री वैकटेश्वर ग्रेनाइट्स	एम मनमदाराव	9542575788
162	श्री लक्ष्मी श्रीनिवास ग्रेनाइट्स	के अशोक	9440163259
163	एस वी वी एस ग्रेनाइट्स इंडस्ट्री	रायाला नागेश्वर राव	9849334868
164	श्री लक्ष्मी चरण ग्रेनाइट्स	के लक्ष्मी नारायण	9989534344
165	रॉयल ग्रेनाइट्स	एस बी सुरेश	9959395202
166	शिल्पी ग्रेनाइट्स	श्री निवास राव	9849429909
167	ग्लासोकोन स्टोन्स	एम कृष्णाराजू	9701191777
168	मै. मणी वर्षा ग्रेनाइट्स	शीला रेड्डी	9959401188
169	रायला ग्रेनाइट्स	आर नागेश्वर राव	9849334868
170	के एन आर ग्रेनाइट्स	टी कोटेश्वर राव	9866586661
171	श्री वैकटासाई ग्रेनाइट्स मिनरल्स	जी श्रीनिवास राव	9396227555
172	लक्ष्मी ग्रेनाइट्स इंडस्ट्री	बी वैकट प्रसाद	9949555055
173	कुशाल ग्रेनाइट्स	एम नरेन्द्र	9396966478
174	वर्मा ग्रेनाइट्स	एस लक्ष्मी नारायण	9951713220
175	मै. भार्गवी ग्रेनाइट्स	ए गोपाल रेड्डी	9701559047
176	गणेश गोकुल कृष्ण ग्रेनाइट्स	के वैकटेश्वर राव	9949299989
177	श्री हनुमान ग्रेनाइट्स	बी नवीन कुमार	9849490525
178	हवीशा ग्रेनाइट्स इंडस्ट्री	पारा नागेश्वर राव	9949721116
179	श्री गीता ग्रेनाइट्स	एम सतीश	9849798486
180	विजय राम स्टोन	एस सेदुलु	8099158737
181	मा ककथिया ग्रेनाइट्स	टी नवीन	9014382807
182	एकलव्य ग्रेनाइट्स	बी चंदर राव	9494638063
183	जे वि आर ग्रेनाइट्स	टी नवक्रांत	9392820202
184	सत्यसाई ग्रेनाइट्स	बी विराबाबु	9573813570
185	श्रीसाई ग्रेनाइट्स	वी वेंगल रेड्डी	9848991602
186	विजया साई ग्रेनाइट्स इंडस्ट्री	एम श्रीनिवास राव	9849334868
187	नवदुर्गा ग्रेनाइट्स इंडस्ट्री	टी श्रीनिवास राव	9848176084
188	श्री मंजु ग्रेनाइट्स	आर वैकटेश्वरलू	9848462171
189	श्री वैकटेश्वरमना ग्रेनाइट्स	पी वैकट रेड्डी	9440186382
190	के के पी ग्रेनाइट्स	के वैकटेश्वरलु	9391218118
191	श्री ग्रेनाइट्स	मड्डी वैकटरेड्डी	9866034445
192	नवनीत ग्रेनाइट्स	के मल्ली	9912012277



	<b>वेंकटागिरी</b>		
193	सिद्धि विनायक गेनाइट्स	बी साई राम गुप्ता	9849614408
194	कनक महालक्ष्मी गेनाइट्स इंडस्ट्रीज	वी श्रीनिवास राव	8187804416
195	अर्चना गेनाइट्स	ई आनंद बाबू	9848883357
196	बी एस गेनाइट्स	बी मणी	9849723733
197	श्री ललिता भवानी गेनाइट्स इंडस्ट्रीज	बी रोशिया	9989143866
198	ओम श्रीसाई सरोजा स्लॉप	एम अनिल कुमार	9399311675
199	श्री वेंकटेश्वरा गेनाइट्स	बी दुर्गा प्रसाद	9848316425
200	राहुल गेनाइट्स	रवि बाबू	9848375354
201	इन.स्टोन इंटरनेशनल	वी.श्रीनिवास राव	9705869389
202	श्री वेंकटा साई गेनाइट	एल.वेकट रेड्डी	9949798456
203	हरीप्रिया गेनाइट्स	एम परमेश्वर रेड्डी	9440624736
204	अभिषेक गेनाइट्स	जी.सुरेश कुमार	9391052522
205	अभिषेक मिनरल्स	जी.सुरेश कुमार	7032540006
206	सीता रामा गेनाइट इंडस्ट्रीज	बी कृष्णा	9010828238
207	साई कृष्णा गेनाइट्स	हरिनाथ बाबू	9848098164
208	हरिनाथ बाबू गेनाइट्स	हरिनाथ बाबू	9848098164
209	हनुमान गेनाइट्स	के.वीरभद्रा राव	9848156224
210	भाग्य श्री गेनाइट्स	के.वीरभद्रा राव	9848156224
211	श्री हनुमान गेनाइट्स	के.वीरभद्रा राव	9866178498
212	साई सुधा गेनाइट्स	जी. राजू	7331132499
213	लक्ष्मी रनक गेनाइट्स	पी.वेकट	9849421444
214	भविष्य गेनाइट्स	चौधरी सीता रामा राव	9848649967
215	नागेन्द्र स्वामी गेनाइट्स	के.नाग भूषणम्	9490932275
216	साई सोनिका रॉक्स	पी.अनंतरामूलू	9849825977
217	नवदुर्गा गेनाइट्स	पी रंगा राव	9676364148
218	समीरा गेनाइट्स	के.वीरभद्रा राव	9848156224
219	शिवचरण गेनाइट्स	राजगोपाल रेड्डी	9849456137
	<b>तेलडारूपल्ली</b>		
220	श्री सिद्धि विनायक गेनाइट्स	के. सुब्रमनियम	9849023451
221	श्री साई कौशिक गेनाइट्स	के श्रीनिवासा राव	9849408090
222	श्री तनिका गेनाइट्स	नुन्ना नागेश्वरा राव	9246669399
223	एम.एल.एन. गेनाइट्स इंडस्ट्रीज	वी.माधव	9704344344
224.	श्री लक्ष्मी वेक्टरमन्ना गेनाइट्स	टी.रामाराव	9493879489
225.	लोड्स गेनाइट्स इंडस्ट्रीज	जे काशिनाडु	9866893564
226	भविष्य श्री गेनाइट्स	रवि चंद्रण	9848156561
227	साई बाला गेनाइट्स	पी.वेक्टरमैया	9703448886
228	नवरत्ना गेनाइट्स इंडस्ट्रीज	नंद कुमार शर्मा	9822144486
229.	भूषिता गेनाइट	के गणेश	9396376555
230	सिरी गेनाइट इंडस्ट्रीज	एल वेंकट रेड्डी	9949798456
231	श्री विजया दुर्गा गेनाइट्स	एम श्रीनिवासा राव	9985276777
232	कामधेनु गेनाइट्स	जी राजेश	9912391053
233	हरिहरा गेनाइट्स	जी सुरेंद्र	9010655199
234	अखिल गेनाइट्स	जी उपाध्या भास्कर	9963368886
235	श्री साई श्रीनिवासा गेनाइट्स	बी वेंकन्ना	9440629818
236	गोल्डेन गेनाइट्स	जे.विनोद कुमार	9849005982
237	सुजाता गेनाइट्स	उपेन्द्र रेड्डी	9440145111
238	श्री रानी साथी गेनाइट्स	राकेश अग्रवाल	9866887667
239	साई स्वाणाबिका गेनाइट्स	पी.मधुसूदन रेड्डी	9949299039

240	सत्यदेव ग्रेनाइट्स	टी.कोटेश्वर राव	9701999151
241	शिरी ग्रेनाइट्स	डी.सुरेन्द्र रेड्डी	9440820948
242	मैसर्स ग्रेनाइट्स वर्ल्ड	डी.वेकटकृष्णैया	9704239858
243	गौतम ग्रेनाइट्स	एस.कोटेश्वर राव	9440338822
244	जगदंबा ग्रेनाइट्स	महेश अग्रवाल	9866337140
245	साई बालाजी इंडस्ट्रीज	वी.वेक्टरमैया	9703448886
246	सनराइज ग्रेनाइट	बी.गीता	9441908001
247	सनसाइन ग्रेनाइट	बी.गीता	9441908001
	<b>आईडीए कनापुरम कईकोनाईगुडेम</b>		
248	श्री गणेश ग्रेनाइट्स	बी.गणेश बाबू	9849145494
249	साई श्रीमंत ग्रेनाइट्स	पी.नरेंद्र	9989900433
250	श्रीमंत ग्रेनाइट्स	पी.नरेंद्र	9989900433
251	श्री साई ग्रेनाइट्स	पी.सुरेश कुमार	9848023688
252	साई श्रीलता रॉक्स	पी.सुरेश कुमार	9848023688
253	चंद्रा ग्रेनाइट्स	एम. रवि कुमार	9989966654
254.	श्री साई चंद्र ग्रेनाइट्स	एम. रवि कुमार	9989966654
255	हवेली ग्रेनाइट्स	एस.किशन राव	9948639000
256	कोणार्क इंडस्ट्री	एस.प्रदीप	9666969999
257	सहस्र ग्रेनाइट	एस.किशनराव	9948639000
258.	युवा ग्रेनाइट	महेन्द्र चौधरी	9642228444
259	सनसाइन रॉक्स	वाई.अप्पा राव	9701143094
260	श्रवणी ग्रेनाइट्स	यू.वेक्टरमन्ना	9440171744
261	मल्टी रॉक्स	वाई.रामाराव	9848156059
262	मल्टी स्टोन्स	वाई.रामाराव	9848156059
263.	एस.के.मिनिरल्स	कासिम	9866448997
264	भगवती ग्रेनाइट इंडस्ट्री	डी.श्रीनिवास राव	9849354419
265	कुसुमा ग्रेनाइट	एस.करुणाकर रेड्डी	9705446444
266	श्री लक्ष्मी साई ग्रेनाइट्स	बी.अशोक	9848532300
267	श्री रघुराम ग्रेनाइट्स इंडस्ट्रीज	जी भास्कर राव	9848156104
268	सद्गुरु साई मिनिरल्स	टी वेक्टररेड्डी	9666352222
269	आर.आर.ग्रेनाइट्स	आर.पी.चंदसिंह	9848156087
270	एच.एच ग्रेनाइट्स	आर.पी.भवर सिंह	9441133769
271	श्री श्याम ग्रेनाइट्स	गुप्ताह	9866887667
272	ए.राज्य लक्ष्मी ग्रेनाइट्स	सी.एच.योगन्द्र राव	9849069600
273	मिथिरा इंडस्ट्री	मिथिरा रे	9963743352
274	गणपति साई प्रसन्ना ग्रेनाइट्स	एन.नरसिंहा राव	9848888614
275	जय श्री संगमरमर उद्योग	बाल.किशन अजमीर	9492101685
276	नवीना ग्रेनाइट्स	बी.रवि कुमार	9440436969
277	अरिहंत ग्रेनाइट्स	अनंथ जैन	9440317517
278	श्री हर्ष रॉक्स	ए.वी.सागर रेड्डी	9948455566
279	जयंथी ग्रेनाइट्स	ए.वी सागर रेड्डी	9948435566
280	शिवगंगा ग्रेनाइट्स	महिपाल रेड्डी	9866136778
281	शिवानी ग्रेनाइट्स	डी.नवीन रेड्डी	9666362222
282	राजिथा इंटरप्राइजेज	टी.विजयारानी	9949856129
283	साई कृष्णा ग्रेनाइट्स	एस.शेषगिरी	9949050481
284	श्री गणेश ग्रेनाइट्स इंडस्ट्री	एस.शेषगिरी	9949050481
285	तरक राम ग्रेनाइट्स	सी.एच राम मूर्ति	9399239291
286	विजय साई ग्रेनाइट इंडस्ट्री	बी.साई बाबू	9440861644
287	वेकटेश्वर ग्रेनाइट इंडस्ट्री	बी.साई बाबू	9440891644

288	एन.डी. ग्रेनाईट्स	दिनेश गुप्ता	9542480823
289	लक्ष्मी गणपति ग्रेनाईट्स	एम.सत्यनारायण	9848266888
290	श्री साई तिरुमला इंडस्ट्रीज	डी.वेक्टराव	9392139596
291	भरानी ग्रेनाईट्स	श्री.निवास राव	9848156032
292	देव ग्रेनाईट्स	श्री.निवास राव	9848156032
293	एल.एस.जे. ग्रेनाईट्स	श्री निवास.राव	9848156032
294.	भारगवी ग्रेनाईट्स	वेकटेश्वरा राव	9440161175
295.	वेकटेश्वरा ग्रेनाईट्स	बी.श्री निवास रेड्डी	9884587778
296.	श्री निवास रेड्डी	टी.वेक्टराव	9701999169
297.	राघवेन्द्र ग्रेनाईट्स	एन.कृष्ण रेड्डी	9000923399
298	भारत ग्रेनाईट्स	केशव रेड्डी	9666362222
299	न्यू श्रीलता ग्रेनाईट्स	सीएच नागेश्वरा राव	9848921362
300	टीएनटी ग्रेनाईट्स	शकिल अहमद बेग	9848156107
301	धारणी इण्डस्ट्री	वी रविकुमार	9866645815
302	सप्त गिरि मिनरल्स	एम रामा मुर्ति	9440719958
303	श्री राघवेन्द्र ग्रेनाईट्स	एन जगदीश	9866612077
304	साई मुर्ति ग्रेनाईट्स	पी वेणुकुमार	9848180205
305	साई राम रॉक्स	जी राम मोहन रेड्डी	9391948634
306	श्री लक्ष्मी साई रॉक्स	एस वी रमणाराव	9949969639
307	श्री तिरुमला ग्रेनाईट्स	तमिनाईनी वेंकटेश्वरा राव	9490098260
308	वेंकेट साई ग्रेनाईट्स	बी श्रीनिवास राव	9849128014
309	लक्ष्मी नरसिंहा ग्रेनाईट्स	एम भार्गव	9395365518
310	तनय ग्रेनाईट्स	वाई श्रीनिवासा राव	9848156069
311	सृजन ग्रेनाईट्स	जे लेनेन	9848242570
312	जय भवानी ग्रेनाईट्स	सुनिल कुमार	9885415742
313	ग्लोबल ग्रेनाईट्स	टी वेंकटेश्वरलू	9949050481
314	लक्ष्मी साई ग्रेनाईट्स	सीएच रमा मुर्ति	9399329291
315	अनुदीप ग्रेनाईट्स	पी योगेन्द्र	9848156250
316	श्रीनिधि रॉक्स	बी श्रीनिवास राव	9848345166
317	आर के ग्रेनाईट्स इण्डस्ट्री	टी कृष्णमुर्ति	7794989877
318	श्री लक्ष्मी नरसिंहा ग्रेनाईट्स इण्डस्ट्री	सीएच संपत कुमार	9948335121
319	श्री देवी ग्रेनाईट्स	टी माता रेड्डी	9441248673
	<b>आरेमपाला कॉडापुरम</b>		
320	अनिता ग्रेनाईट्स	एम श्रीनिवास राव	9440101737
321	शुभलक्ष्मी ग्रेनाईट्स	डी श्रीधर	9948993387
322	श्री साई स्टोन्स	एन श्रीनिवासा रेड्डी	9848017075
323	शिल्प कला ग्रेनाईट्स	जी रवि	9440703165
324	तिरुमला रॉक्स	के रमा लिंगरेश्वर राव	9393935999
325	यूनिक रत्ना ग्रेनाईट्स	वी बाबूराव	9849043281
326	नरेन्द्र ग्रेनाईट्स	एन नरेन्द्र रेड्डी	9848134192
327	साई वैभव ग्रेनाईट्स	वी श्रीनिवास राव	9949354131
328	साई स्पंदन रॉक्स	वी श्रीनिवास राव	9949354131
329	शिरडी साई ग्रेनाईट्स	जी भास्कर राव	9440687523
330	शिरडी साई ग्रेनाईट्स इण्डस्ट्री	जी भास्कर राव	9440687523
331	धारिणी मिनरल्स	के प्रसाद राव	9440160689
332	श्री बालाजी ग्रेनाईट्स	बसंत पटेल	9849514176
333	साई बालाजी ग्रेनाईट्स	एम जगन्धाम	9553632491
334	श्री धनलक्ष्मी ग्रेनाईट्स	के पुल्ला राव	9701008186
335	न्यू साई कृष्णा ग्रेनाईट्स	जी ई नरसिंहा राव	9010599994

336	शिवा ज्योति इण्डस्ट्री	टी वेंकेट राव	9701999169
337	नारायण ग्रेनाइट्स	वी नारायण रेड्डी	9866851117
338	सेवेन हिल्स ग्रेनाइट्स	वी नरसैया	9885383540
339	नवीना ग्रेनाइट्स इण्डस्ट्री	वी रविकुमार	9440436969
340	देवी ग्रेनाइट्स	के किरण कुमार	9652003233
341	श्री बदकली ग्रेनाइट्स इण्डस्ट्री	के वेंकेटस	9948614440
342	श्री विनायक वेंकटेश्वर राव ग्रेनाइट्स	बी वेणुगोपाल	9490145466
343	सिरी इण्डस्ट्री	पी वेंकन्ना	9440317728
344	अश्रिता ग्रेनाइट्स	गोपी	9848130319
345	वारालक्ष्मी ग्रेनाइट्स	एन सुधाकर	9948826666
346	तिरुमला रॉक्स	डी स्विधन हाउडी	9000239493
347	पुनैया ग्रेनाइट्स	सीएच सुधाकर	7801020378
348	विजय लक्ष्मी ग्रेनाइट्स	पी श्रीनिवासा राव	9652666599
349	श्री श्री हरी ग्रेनाइट्स	डी फनी कुमार	9849085550
350	श्री महालक्ष्मी ग्रेनाइट्स	के प्रवीण	9848156465
351	अनुराग स्टोन्स	पी युगंदर	9848156250
352	साई विगनेश्वर ग्रेनाइट्स	पी श्रीनिवासराम	8374511999
353	लक्ष्मी ग्रेनाइट्स	के संदीप	9966643444
354	श्री साई कीर्ति ग्रेनाइट्स	ए रामा राव	9866444582
355	श्री साई श्रुति ग्रेनाइट्स	विजय कुमार	9949067222
356	शारदा ग्रेनाइट्स इंडस्ट्री	के सत्यनारायण	9399327333
357	भवाना ग्रेनाइट्स	सी एच गोपीचंद	9848026455
358	रासी ग्रेनाइट्स इंडस्ट्री	एम वी सागर रेड्डी	9848156488
359	मनोरमा ग्रेनाइट्स	के श्रीनिवास राव	9440317755
360	सत्य देव ग्रेनाइट्स इंडस्ट्री	के वेणु	9100108064
361	साई योगिता ग्रेनाइट्स इंडस्ट्री	के लक्ष्मी नारायण	9100108066
362	मारुति ग्रेनाइट्स इंडस्ट्री	देवेन्द्र गिठाला	9573804285
363	वामशि कृष्णा ग्रेनाइट्स	जी रघुनंदन रेड्डी	9885285654
364	बालभारती ग्रेनाइट्स	पी रवि कुमार	8897022021
365	साई उमेश ग्रेनाइट्स	टी विजय	9440101557
366	साई उमेश इंडस्ट्री	टी विजय	9440101557
367	श्री श्री साई ग्रेनाइट्स	डी नागेश्वर राव	9848733589
368	साई राम स्टोन्स	राम मोहन रेड्डी	9391948634
369	श्री विजय सूर्य चंद्र ग्रेनाइट्स	नारायण	9908018877
370	अरुद्र ग्रेनाइट्स इंडस्ट्री	एस कपासा	9010212880
371	वेदा ग्रेनाइट्स	एल वी नारायण	9393314800
372	वीरू पक्ष ग्रेनाइट्स	जी किरण कुमार	9010551111
373	श्री साई राम ग्रेनाइट्स	वी नारायण	9440160229
374	श्री सत्य साई ग्रेनाइट्स	पी श्रीनिवास रेड्डी	9440160079
375	श्री विष्णु ग्रेनाइट्स	एस श्रीनिवास राव	9849513456
376	श्री साई वल्लभ ग्रेनाइट्स	एन कोटेश्वर राव	9985445220
377	साई मनीषा ग्रेनाइट्स	बी मनोहर राव	9666658879
378	पी वी आर ग्रेनाइट्स	पी अनिल कुमार	9989606587
379	नवीन कृष्ण ग्रेनाइट्स	वेंकटेश्वर राव	9849121749
380	मै. तनिष्का ग्रेनाइट्स	रामचरण रेड्डी	9849554538
381	साई श्वेता ग्रेनाइट्स	दीपक कुमार पंडित	9885265501
382	साई श्री ग्रेनाइट्स	के हनुमंत राव	7799789999
383	वी एन ग्रेनाइट्स	एन वीरभद्रम	9866484449
384	श्री साई कृपा ग्रेनाइट्स	राघवा राव	9912617439

385	साई कौशिक	एम वेंकटेश्वर राव	9703635044
386	कविता मिनरल्स	एन वेंकटेश्वरलू	9553834777
387	श्री राम कृष्ण ग्रेनाइट्स	वी रामकृष्ण	9640969999
388	श्री राधा कृष्ण ग्रेनाइट्स	वेंकटेश्वरलू	9392724321
389	साई अन्नपूर्णा ग्रेनाइट्स	ए वेंकट रेड्डी	9440100405
390	साई यशवंत रॉक्स	सीएच टाटा राव	9849388547
391	गोपाल साई ग्रेनाइट्स	एम राम प्रसाद	9010593679
392	शिवा साई ग्रेनाइट्स	पी श्रीनिवास राव	9908684499
393	दुर्गा भवानी ग्रेनाइट्स इंडस्ट्रीज	आर सिद्धार्थ कुमार	9912324123
394	साई श्री ग्रेनाइट्स	टी चंद्रईय्या	9848356322
395	श्री लक्ष्मी दुर्गा प्रसन्न ग्रेनाइट्स	के मल्ला रेड्डी	9502030779
396	श्री शिवासाई बालाजी ग्रेनाइट्स	पी नरेन्द्र	9966558382
397	देवी ग्रेनाइट्स इंडस्ट्री	बी सुधीर	9000225969
398	श्री साई श्रीनिवास ग्रेनाइट्स	बी श्रीनिवास राव	9949799777
399	श्री चक्र रॉक्स	बी माधव राव	9948834848
400	श्री वेंकटेश्वर ग्रेनाइट्स इंडस्ट्री	वेंकटेश्वरलू (दम्मईगुडेन )	9949867670
401	श्री वेंकटेश्वरम्मा ग्रेनाइट्स इंडस्ट्री	टी रामू	8897933888
402	एस वाई जी इंडस्ट्री	लक्ष्मी नारायण	9100108066
	<b>गोपालापुरम</b>		
403	श्री लक्ष्मी स्टोन्स	बी वी रंगा राव	9848679579
404	शिवा ग्रेनाइट्स इंडस्ट्री	नंद किशोर	9652571830
405	ग्रेस ग्रेनाइट्स	हनुमंतराव	9848225917
406	न्यू मंजू नंदा ग्रेनाइट्स	जी विजय कुमार	9052818888
407	एस वी ग्रेनाइट्स इंडस्ट्री	सी एच विश्ववंध	9703218223
408	साई श्री ग्रेनाइट्स	बी श्रीनिवास राव	9866155217
409	श्री विजय स्टोन्स	के राजेन्द्र प्रसाद चौधरी	8297417999
410	श्री वेंकटरमन स्टोन्स	गोपी	9848134319
	<b>पल्लेगुडेम, एम वी पालेम</b>		
411	श्री वेंकट पदामावती इंडस्ट्री	वी रामू	9963387699
412	करुणा ग्रेनाइट्स	जी श्रीनिवास राव	9866520836
413	लक्ष्मी ग्रेनाइट्स	जी श्रीनिवास राव	9866520836
414	श्री आलेख ग्रेनाइट्स	वाई विरयाबाबू	9390744404
415	श्री विघ्नता ग्रेनाइट्स	पी कमलाकर	9866191213
416	श्री डीपीआर ग्रेनाइट्स	राम बाबू	9393419909
417	स्वप्ना ग्रेनाइट्स	पी युगेन्दर	9848156250
418	जयंती ग्रेनाइट्स	टी वी के रेड्डी	9908977666
419	जे एस ग्रेनाइट्स	जी वेंकन्ना	9848059646
420	चरण चंद्र ग्रेनाइट्स	दुर्गा राव	9985019391
421	गेलेक्सी ग्रेनाइट्स	चलपथीराव	9000432312
422	श्री साई शिवा ग्रेनाइट्स	उपेन्दर रेड्डी	9440145111
423	श्री साई शंकर ग्रेनाइट्स	श्री निवास रेड्डी	9848280166
424	एसपीएस ग्रेनाइट्स	नागेश्वर राव	9848876316
425	श्रीकृष्णा ग्रेनाइट्स	कट्टा रवि कुमार	9652444416
426	शिव ज्योति ग्रेनाइट्स	टीवी श्रीनिवास राव, वासु	9440013088
427	संजय ग्रेनाइट्स इंडस्ट्री	एम श्रीनिवास राव	9396674817
428	विघ्नता ग्रेनाइट्स	पी कमलाकर	9866191213
429	विघ्नता रॉक्स	पी कमलाकर	9866191213
430	धनलक्ष्मी मीनरल्स	एम कोटेश्वर राव	9866033225
431	धनलक्ष्मी स्टोन्स	एम कोटेश्वर राव	9866033225

432	जय साईं ग्रेनाइट्स	एम नरेश	9959985757
433	श्री लक्ष्मी तीरुपतंमा	एम हनुमंत राव	9989277637
434	जय साईं रॉक्स	एम वेंकट	9866396133
435	कालिंदी ग्रेनाइट्स	बुलेट राम बाबू	9393419909
436	श्री श्री श्री ग्रेनाइट्स	बालासनी लक्ष्मी नारायण	9848886899
437	उषा ग्रेनाइट्स	कोंडापति गोविंद	9849815686
438	श्री बालाजी ग्रेनाइट्स	वी राम बाबू	9989641979
439	जय माता ग्रेनाइट्स	माधवराव	8333008649
440	ए आर के एस ग्रेनाइट्स	ए ए एन प्रसाद	9440608600
441	वेंकटनारायण ग्रेनाइट्स	वी रमेश	9966166667
442	साई बाबा ग्रेनाइट्स	वेंकटनारायण	9246932930
443	श्री लक्ष्मी श्रीनिवास ग्रेनाइट्स	वी रामाराव	9866235120
444	साई श्री गणेश ग्रेनाइट्स	एन श्री निवास राव	9966027398
445	श्री साई ज्योति इंडस्ट्री	एल भास्कर राव	9494315609
446	श्री पवन गणपति ग्रेनाइट्स	एम वेंकटेश्वरलू	9849177359
447	जय श्री स्टोनेक्स	भार्गव	9395363319
448	कोटा मईसम्मा ग्रेनाइट्स	श्री निवास राव	9553706882
449	उमा ग्रेनाइट्स	के सिंगा रेड्डी	8686334099
	<b>प्रकाश नगर लक्ष्मी पुरम</b>		
450	शिवा ग्रेनाइट्स	के महेश	9849903719
451	ए आर ग्रेनाइट्स	ए रामा स्वामी	9866100690
452	सवेरा ग्रेनाइट्स	रमैया	9848159086
453	श्री हरिका ग्रेनाइट्स	आर नरसिंहा राव	9849170402
	<b>लक्ष्मी पुरम</b>		
454	श्री वेंकटरमना ग्रेनाइट्स	वी श्रीनिवासा राव	8522085627
455	वेंकटेश्वरा ग्रेनाइट्स	एम रविन्द्र रेड्डी	9848989398
456	राजेश्वरी ग्रेनाइट्स	पी रवि	8790824666
457	श्री रविचन्द्र ग्रेनाइट्स	राज शेखर	9985122010
458	श्री पदमावती स्लेब्स	के गणेश	9246907444
459	पटेल रविचन्द्र ग्रेनाइट्स	पी नरसैया	9848407032
460	साई लक्ष्मी तिरुपथमा ग्रेनाइट्स	तिरुपैया	9440160028
461	जुनैद ग्रेनाइट्स	अजगर अली	9392112323
462	श्री स्वामी स्टोन्स	एस गोपी (पेड्डागोपथी)	9848134319
463	वेंकटेश्वरा स्टोन्स	एस गोपी (नेलाकौडापल्ली)	9848134319
464	स्वाति मिनरल्स	के. रमेश (रेगुलाचालाका)	9848899665
465	साई कृष्णा स्टोन्स (गुवालागुडम)	पी. मुरली कृष्णा (9848081659)	9948248253
466	महालक्ष्मी ग्रेनाइट इण्डस्ट्री	के.एल प्रसाद	9440137591
467	श्री वेंकटेश्वर राव ग्रेनाइट फैक्ट्री	जी सत्यनारायण रेड्डी	9848345445
468	रति स्टोन्स	के सत्यमोहन (थलमपडु)	9348392288
469	सूरति रॉक्स	के सत्यमोहन (थलमपडु)	9348392288

**खम्माम गेनाईट टाईल इण्डस्ट्रीज**

क्र.सं.	फैक्ट्री का नाम	एमजी/प्रोपराईटर	मोबाईल नं.	स्थान
1	धनलक्ष्मी गेनाईट्सइंडस्ट्री	एन कोटेश्वर राव	9063012222	प्रशान्ति नगर
2	महीथा गेनाईट	टी.सागर	9676141311	कईकोंडड़गुडेम
3	श्री पोजिथा गेनाईट्स	पी. गिरिप्रसाद	9866765553	कईकोंडड़गुडेम
4	साई श्री गेनाईट्स	एन श्रीनिवास	9966027398	कईकोंडड़गुडेम
5	वारालक्ष्मी गेनाईट्स	एस.वी.रामा राव	9949969639	कईकोंडड़गुडेम
6	मंजूला गेनाईट्स	पी.एस.कृष्णा रेड्डी	9912699124	कईकोंडड़गुडेम
7	लक्ष्मी गणपति रॉक्स	ई श्रीनिवास रेड्डी	9848455488	कईकोंडड़गुडेम
8	साई मंजुनाथा गेनाईट्स	सीएच शेसयाह	9399322543	आईडीए
9	हरशिता गेनाईट्स	जे स्टालिन	9963908342	कईकोंडड़गुडेम
10	लक्ष्मी गणेश गेनाईट्स	जी रंगारेड्डी	9948618522	कईकोंडड़गुडेम
11	आर के इण्डस्ट्रीज	टी रमेश	9949532987	कईकोंडड़गुडेम
12	धनलक्ष्मी गेनाईट्स	डी रविन्द्र बाबू	9849090998	कईकोंडड़गुडेम
13	श्री श्री गेनाईट्स	डी हनुमंत राव	9393769123	कईकोंडड़गुडेम
14	तरुनी गेनाईट्स	एम रामू	9052567889	कईकोंडड़गुडेम
15	यशवंत गेनाईट्स	बी वेंकटेश्वर लू	8497936669	कईकोंडड़गुडेम
16	साई कृपा गेनाईट्स	जी रविन्द्र राव	9963841980	कईकोंडड़गुडेम
17	प्रगति टाईल्स	पी रमेश	9989294888	पालेगुडेम
18	श्री रमा गेनाईट्स	वेंकट नारायणा	9652251353	एम.वी.पालेम
19	श्री साई राजमाता	टी विरन्ना	9866793693	एम.वी.पालेम
20	कविता गेनाईट्स	के वेंकट नारायणा	9989606348	आईडीए
21	शुभद्रा गेनाईट्स	पी वासभव्या	9505508097	कईकोंडड़गुडेम
22	श्री वेंकटराम गेनाईट्स	पी हरिकृष्णा रेड्डी	9989079315	गोपालपुरम
23	श्री लिंगेश्वर गेनाईट्स	सीएच श्रीकांत	8801748578	कईकोंडड़गुडेम
24	स्नेहिता गेनाईट्स	बी श्रीधर	9848156198	आईडीए
25	अजमिरी गेनाईट्स	मो.नसरुद्दीन	9949243433	कईकोंडड़गुडेम
26	मंगमा गेनाईट्स	एम बैंकन्ना	9247627085	कईकोंडड़गुडेम
27	साना इण्डस्ट्रीज	डी श्रीनिवास	9948445870	कईकोंडड़गुडेम
28	श्री चैतन्य गेनाईट्स	एम नरसिंहाराव	9247627085	कईकोंडड़गुडेम
29	श्रीराणाभाई गेनाईट्स	बी सुनील	9550360445	कईकोंडड़गुडेम
30	श्री राघवेन्द्र राक्स	एन जगदीश	9866612077	कईकोंडड़गुडेम
31	श्री चैतन्य गेनाईट्स	पी नरेश	9848676357	कईकोंडड़गुडेम
32	जोशना गेनाईट्स	के सतनारायण	9676555551	आईडीए
33	सुभ्रमन्येश्वर गेनाईट्स	टी वेंकट रेड्डी	9908977666	एम.वी.पालेम
34	एसडी पी आर गेनाईट्स	के राम बाबू	9393419909	पालेगुडेम
35	वेंकट गेनाईट्स	ए विजय लक्ष्मी	9912777339	धामशालापुरम
36	श्री साई लीली गेनाईट्स	के हगाभूषनम	9951157747	मुधिगौंडा
37	श्री वासावी गेनाईट्स	टी विजय भास्कर	9849562357	कईकोंडड़गुडेम
38	श्री लक्ष्मी गेनाईट्स	बी रंगाराव	9848679579	गोपालपुरम
39	विजय साई गेनाईट्स	के विक्रमरेड्डी	9849743242	गोपालपुरम
40	श्रवनी गेनाईट्स	बी सत्यनारायण	9849387937	गोपालपुरम
41	दीपक गेनाईट्स	बी सीतारामजाह	9247150689	कईकोंडड़गुडेम
42	सनरॉक्स	के विकास रेड्डी	9848675240	कईकोंडड़गुडेम
43	वी एस स्टोन जोन	पी श्री निवास	9666617835	आईडीए
44	स्टार गेनाईट्स	प्रभाकर	9866060663	आईडीए
45	श्री राजलक्ष्मी गेनाईट्स	सीएच उजेन्दर	9849069600	आईडीए
46	एसएसजीके गेनाईट्स एंड टाईल्स	के वेंकटा रेड्डी	9848156036	आईडीए
47	एस एस जी के गेनाईट्स	एम सागर रेड्डी	9848156488	आईडीए

48	श्री सुप्रजा ग्रेनाईट	एन रंगा रेड्डी	9381097658	कईकोंडङ्गुडेम
49	ए एच ग्रेनाईट	मो. अफजल हुसैन	9505733556	आईडीए
50	श्री नरसिंहा ग्रेनाईट	एम मनमढा राव	9542575788	कईकोंडङ्गुडेम
51	श्री साई गणेश ग्रेनाईट	जी नागेन्द्र	9502077414	कईकोंडङ्गुडेम
52	भारती इंडस्ट्रीज	एन.बी.बी जगदीश	9848156219	आईडीए
53	गोबल ग्रेनाईट	बी.वेकटेश्वरलु	9948450160	कईकोंडङ्गुडेम
54	साई विनायक ग्रेनाईट	आर.विक्रमर रेड्डी	9989424753	कईकोंडङ्गुडेम
55	माना सविना ग्रेनाईट	ए.बाबू राव	9440160153	आईडीए
56	सूर्य ग्रेनाईट्स	वी.विनोद कुमार	9849143032	कईकोंडङ्गुडेम
57	स्वर्ण ग्रेनाईट्स	डी.वेकटेश्वरलु	9866235110	कईकोंडङ्गुडेम
58	सत्य दीप ग्रेनाईट्स	वी. हनुमंता राव	9490144189	कईकोंडङ्गुडेम
59	श्री वेकटारामा ग्रेनाईट	वी.रामाराव	9866235120	कईकोंडङ्गुडेम
60	अश्विनी ग्रेनाईट	डी.अशोक	9912326646	कईकोंडङ्गुडेम
61	डी. पी.ग्रेनाईट	टी.श्रीनिवास	9603934266	कईकोंडङ्गुडेम
62	श्री विनायक ग्रेनाईट	जी. अप्पा राव	9849929224	कईकोंडङ्गुडेम
63	श्री मनितेजा ग्रेनाईट	टी नारायणा	9440337063	कईकोंडङ्गुडेम
64	साई श्री ग्रेनाईट	पी. रमा राव	9849929298	कईकोंडङ्गुडेम
65	श्री वैकटाश्वरा ग्रेनाईट	के.रमेश	8341652205	प्रशांति नगर
66	बालाजी ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीज	सुनिल अग्रवाल	8978933694	गोपालपुरम
67	हितेश ग्रेनाईट	सुनिल अग्रवाल	8978933694	गोपालपुरम
68	शिव भोले ग्रेनाईट	प्रेम कुमार	8790031565	कईकोंडङ्गुडेम
69	नव्या ग्रेनाईट	पी पीट छैया	9492771027	कईकोंडङ्गुडेम
70	श्री लक्ष्मी गणेश ग्रेनाईट	एन पीट छैया	9949633749	कईकोंडङ्गुडेम
71	वारालक्ष्मी ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीज (वीएलजीआई)	विमल कावरा	9440717030	कईकोंडङ्गुडेम
72	श्रीनाथ ग्रेनाईट	विशाल कावरा	9440717030	कईकोंडङ्गुडेम
73	धनराज ग्रेनाईट	वि रमेश	9505612499	कईकोंडङ्गुडेम
74	श्री आर एस ग्रेनाईट	वी रोसाइया	9849183491	कईकोंडङ्गुडेम
75	श्री साई सुधा ग्रेनाईट	सीएच कुन्डलराव	9705173690	गोपालापुरम
76	एस एम ग्रेनाईट	सैयद युसूफ अली	9848318964	गोपालापुरम
77	नेशनल ग्रेनाईट	मो. याकूब	9989265483	कईकोंडङ्गुडेम
78	नेचुरल ग्रेनाईट	मोहम्मद अलिमुदीन	9440160140	गोपालापुरम
79	श्री श्रीडी साई ग्रेनाईट	वी श्री हरि	7396385929	कईकोंडङ्गुडेम
80	श्री साई लिखिता ग्रेनाई	पी कृष्णा	9866424273	कईकोंडङ्गुडेम
81	वी आर इण्डस्ट्रीज	के मनिपाल रेड्डी	9866136778	आईडीए
82	आदित्या ग्रेनाईट	मोहम्मद रफि	8341837744	कईकोंडङ्गुडेम
83	श्री विगनेश्वर ग्रेनाईट	नरेन्द्र	9703732143	पालेगुडेम
84	लक्ष्मी ग्रेनाईट	एम श्री निवास राव	9849270103	गोपालापुरम
85	जी के ग्रेनाईट	जी श्रीनिवास राव	9550571571	कईकोंडङ्गुडेम
86	सबरीमलाई ग्रेनाईट	वी कृष्णा	9032085987	कईकोंडङ्गुडेम
87	एसएल वी ग्रेनाईट	डी वैकटेश्वर राव	9440160775	कईकोंडङ्गुडेम
88	श्री लक्ष्मी वैकटेश्वर ग्रेनाईट टाइल्स	एम सतीश	8374309665	मुधिगोंडा
89	मोनिकान्ता ग्रेनाईट	वी राम बाबू	9989641979	कईकोंडङ्गुडेम
90	श्री चरण ग्रेनाईट	वी राम बाबू	9989641979	कईकोंडङ्गुडेम
91	श्री साई गायत्री ग्रेनाईट	वी श्रीनिवास	9989641979	कईकोंडङ्गुडेम
92	केके एक्सपोर्ट	के. कृष्णा	9030100893	आईडीए
93	साई दीप ग्रेनाईट	टी संदीप कुमार	9848654393	कईकोंडङ्गुडेम
94	श्री साई रॉक्स	के हरिकृष्णा रेड्डी	9948288275	कईकोंडङ्गुडेम
95	एम आर ग्रेनाईट	डी मनोज	9866077451	कईकोंडङ्गुडेम



96	एवन रेफ्लूएव स्टोन	एम कृष्णम राजू	9849113868	गुरुराल
97	भूमिका ग्रेनाईट	मुकेश चौधरी	9642991392	कईकोंडड़गुडेम
98	दिव्या श्री साई ग्रेनाईट	डी सीता रमैया	9963449292	आईडीए
99	अभिराम ग्रेनाईट	एम जितेन्द्र रेड्डी	9848676123	कईकोंडड़गुडेम
100	हेमलता ग्रेनाईट	एस करुणाकर	9866191212	पालेगुडेम
101	स्पृति ग्रेनाईट	के हरिनाथ प्रसाद	9177725959	ईधुलापुरम
102	विगनेश्वर ग्रेनाईट	एम वेंकट वरलू	9866746811	कईकोंडड़गुडेम
103	साई विगनेश्वर ग्रेनाईट	पी श्रीनिवास राव	8374511999	कईकोंडड़गुडेम
104	साई वेंकटेश्वर ग्रेनाईट	टी शेशु	9701474277	कईकोंडड़गुडेम
105	सन्वी ग्रेनाईट	कपिल अग्रवाल	8897358916	कईकोंडड़गुडेम
106	सुसमंत ग्रेनाईट	एन बालाजी	9440528223	कईकोंडड़गुडेम
107	विजय साई ग्रेनाईट इण्डस्ट्रीज	आईएम आर के रेड्डी	9848118486	कईकोंडड़गुडेम
108	एस एस आर जी ग्रेनाईट	सुरेन्द्र रेड्डी	9866799048	आईडीए
109	जयमाता ग्रेनाईट	पी माधवराव	8333008649	पालेगुडेम
110	साई भवानी ग्रेनाईट	एम राम भद्रैया	9948464555	कईकोंडड़गुडेम
111	जय भवानी ग्रेनाईट	एन चन्द्र शेखर	9944892290	प्रशांथी नगर
112	लक्ष्मी ग्रेनाईट	पी बालू	9705179090	मुधिगोडा
113	हरशिता ग्रेनाईट	पी कोटेश्वर राव	9849391160	लक्ष्मीपुरम
114	माही ग्रेनाईट	पी रवि कुमार	9553106801	आईडीए

\*\*\*\*\*

**दिनांक 11 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए**

**यू.एस. जी.एस.पी. कार्यक्रम**

3720. श्री जगदम्बिका पाल:  
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार अमरीका सरकार के जेनेरेटिड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस (जीएसपी) के अंतर्गत प्रेफरेंसियल ट्रेड स्टेट्स (पी.टी.एस.) हेतु पात्रता मानदंड का अनुपालन करने में विफल रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार पी.टी.एस. हेतु पात्रता मानदंड के संबंध में भारत द्वारा अनुपालन के बारे में अमरीका सरकार को विश्वास दिलाने में विफल रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) अमरीका सरकार द्वारा विशेष व्यापार दर्जे को निरस्त करने हेतु दिए गए कारणों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार को अप्रैल, 2018 में अमरीका सरकार द्वारा शुरू किए गए पात्रता समीक्षा के बारे में जानकारी थी;
- (ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अप्रैल, 2018 से भारत द्वारा मानदंड को पूरा करने के लिए किए गए उपायों के संबंध में अमरीका सरकार को विश्वास दिलाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या इससे अमरीका को किए जाने वाले निर्यात की मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पी.टी.एस. के निरस्त्रीकरण के कारण रोजगार में संभावित कमी और अन्य आर्थिक प्रभाव क्या हैं; और
- (छ) सरकार द्वारा उक्त प्रभावों का सामना करने के लिए उठाए गए कदमों/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री**  
**(श्री पीयूष गोयल)**

(क) से (ङ.) : सामान्यीकृत अधिमान्नी प्रणाली, “ विभेदक और अधिक अनुकूल व्यवहार पारस्परिकता तथा विकासशील देशों की पूर्ण भागीदारी” नामक दिनांक 28.11.1979 के विधिक निर्णय जिसे “ अनेबलिंग क्लॉज” के रूप में भी जाना जाता है, के तहत संयुक्त राज्य जैसे विकसित देशों द्वारा दी गयी एकतरफा स्कीम है जिस पर जीएटीटी संविदाकारी पक्षों द्वारा सहमति दी गई और जिसे बाद में, विश्व व्यापार संगठन की विधि प्रणाली में शामिल किया गया था ।

संयुक्त राज्य जीएसपी कार्यक्रम के तहत, कुछ उत्पादों का संयुक्त राज्य में शुल्क मुक्त प्रवेश हो सकता है यदि लाभार्थी विकासशील देश उनकी कांग्रेस द्वारा स्थापित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। जीएसपी मानदंड में, अन्य मानदंडों के अलावा, संयुक्त राज्य के नागरिकों अथवा निगमों के पक्ष में मध्यस्थता अवार्ड का सम्मान करना, बाल श्रम का विरोध करना, अंतराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त श्रमिक अधिकारों का सम्मान करना, पर्याप्त और प्रभावी बौद्धिक संपदा संरक्षण प्रदान करना और संयुक्त राज्य को न्याय संगत तथा यथोचित बाजार पहुँच प्रदान करना शामिल है । देशों को उनके आर्थिक विकास से संबंधित कारकों के आधार पर जीएसपी कार्यक्रम से ग्रेडुएटेड आउट भी किया जा सकता है।

वर्ष 2018 में संयुक्त राज्य ने भारत का जीएसपी बाजार पहुँच मानदण्ड के अनुपालन की पात्रता समीक्षा भी आरम्भ की। यूएस डेयरी उद्योग और यूएस चिकित्सा उपकरण उद्योग द्वारा दर्ज की गई याचिकाओं को भी इस समीक्षा में शामिल किया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि इन क्षेत्रों में भारत की व्यापार बाधयताओं ने यूएस निर्यात को प्रभावित किया है। भारत ने जून, 2018 में यूएसटीआर (यूएस व्यापार प्रतिनिधि) को सुनवाई पूर्व ब्रीफ को प्रस्तुत किया, जनसुनवाई में भाग लिया और सुनवाई पश्चात ब्रीफ को भी प्रस्तुत किया।

जीएसपी समीक्षा प्रक्रिया के दौरान, यूएसटीआर ने बड़ी संख्या में अपने उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुँच सहित अनेक माँगों को शामिल किया और गैर पारस्परिक जीएसपी लाभ को भारत से अधिक रियायत प्राप्त करने के लिए एक उत्तोलक के रूप में उपयोग किया। हालांकि, भारत ने पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार पैकेज पर पहुँचने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास किया, परंतु दिनांक 4 मार्च, 2019 को यूएस द्वारा वापसी नोटिस जारी होने पर यूएस की समीक्षा समाप्त हो गई और दिनांक 5 जून, 2019 से जीएसपी लाभों को वापस ले लिया गया।

यूएस ने संकेत दिया कि उसने अपने 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 502 के तहत भारत के लिए जीएसपी को यह व्यक्त करते हुए वापस ले लिया कि भारत ने कुछ क्षेत्रों में अपने बाजारों में न्याय संगत और यथोचित पहुँच प्रदान नहीं की है।

(च) और (छ): भारत ने अमेरिका को वर्ष 2018 के दौरान जीएसपी कार्यक्रम के तहत 6.3 बिलियन डॉलर (यूएसआईटीसी ऑकड़ों के अनुसार) मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया जो उस वर्ष में अमेरिका को भारत के कुल निर्यात का 12.1 प्रतिशत था। वर्ष 2018 में जीएसपी के कारण कुल उपार्जित शुल्क रियायत 240 मिलियन डॉलर थी, जो उस वर्ष में जीएसपी लाभ प्राप्त करने वाले अमेरिका को भारत के निर्यात का लगभग 3.8 प्रतिशत था। जीएसपी के तहत प्राप्त की गई प्रत्येक उत्पाद स्तर की रियायतों के आधार पर अनेक उत्पादों पर प्रभाव अलग-अलग हैं। तथापि, अब तक जीएसपी प्रशुल्क लाइनों के तहत संचयी निर्यात विगत वर्ष के उसी अवधि की तुलना में जीएसपी वापस लेने की अवधि (जून-अक्टूबर, 2019) के पश्चात कम नहीं हुई है।

द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं किसी भी आर्थिक संबंधों की भाग होती हैं और इस प्रकार के मुद्दे भारत की यूएस के साथ आर्थिक संबंधों के लिए चल रही विचार विमर्श का भी भाग हैं।

\*\*\*\*\*

दिनांक 11 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

परिधान तथा फैशन आभूषण का निर्यात

\*328. डॉ. सुभाष सरकार:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में परिधान तथा फैशन आभूषण का निर्यात बढ़ाने हेतु विनिर्माताओं को प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा की जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की पश्चिम बंगाल में परिधान तथा फैशन आभूषण के संवर्धन एवं विकास हेतु कोई संकुल स्थापित करने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

**“परिधान तथा फैशन आभूषण का निर्यात” के संबंध में दिनांक 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा के तारांकित प्रश्न सं. 328 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।**

(क) भारत से माल के निर्यात को प्रोत्साहन देने एवं सुकर बनाने के लिए सरकार की अनेक स्कीमें हैं, जो व्यापक रूप से परिधान तथा फैशन आभूषण क्षेत्र के लिए भी उपलब्ध हैं। इनमें विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमें और शुल्क प्रति अदायगी स्कीमें शामिल हैं।

(ख), (ग) और (घ) सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदान कराई गयी अवसंरचना एवं अन्य सुविधाओं द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, देश के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न उत्पादों के लिए कलस्टर विकसित किये गये हैं। इनमें आभूषण/परिधान और फैशन आभूषण से संबंधित कलस्टर शामिल हैं। इन्हें रत्न एवं आभूषण विनिर्माण कलस्टरों में सामान्य सुविधा केंद्रों(सीएफसीएस) का विकास जैसे सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोग दिया जाता है जिसके माध्यम से सरकार ऐसी गतिविधियों को सहयोग देना जारी रखेगी।

\*\*\*\*

“वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी” के संबंध में दिनांक 11 दिसंबर, 2019 के लिए लोकसभा के तारांकित प्रश्न सं. 324 के भाग (क) से (ड़) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) जी हां।

(ख) और (ग) एचएलएजी की विस्तृत सिफारिशें वाणिज्य विभाग की वेबसाइट(<http://commerce.gov.in> पर उपलब्ध हैं)

(घ) एचएलएजी की रिपोर्ट के सुझाव और सिफारिशें विभिन्न संबंधित विभागों के साथ साझा की गई हैं।

(ड़) कर पद्धति में सुधारों के संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (अध्यादेश) के द्वारा उन सभी घरेलू कॉरपोरेटों के लिए लागू अधिभार और उपकर सहित कॉरपोरेट कर दरों में 22 प्रतिशत तक की कमी की गई है जिन्होंने किसी प्रकार की कटौती अथवा प्रोत्साहन का दावा नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, 01.10.2019 को अथवा इसके उपरांत निगमित किसी भी नई घरेलू विनिर्माण कंपनी को अधिनियम की धारा 115 बीएबी की उपधारा(2) के अनुसार किसी प्रकार की कटौती या प्रोत्साहन का दावा न करने वाली कंपनियों को अधिभार और उपकर सहित 15 प्रतिशत के कम कॉरपोरेट कर का लाभ दिया जा सकता है बशर्ते कि वे दिनांक 31.03.2023 तक किसी सामान अथवा वस्तु का विनिर्माण अथवा उत्पादन आरंभ कर दें। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में पहले ही अनेक सुधार किए हैं और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सुधार प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। इनमें से कुछ सुधार विभिन्न अधिनियमों यथा वित्त( संशोधन) विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, माल और सेवा कर अधिनियम द इनसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में संशोधन इत्यादि में संशोधन करके किया गया है।

\*\*\*\*\*